



okf"kd ys[kk

2012-13

i Fkd l h, th ys[kki jh{kk fji ks/z
, oa i caku ds mÙkj l fgr



i k8kk fdLe vkJ -"kd vf/kdkj l j{k.k i kf/kdj.k
df"k ,oa l gdkfjr k foHkkx
df"k e=ky;] Hkkjr l jdkj
, u,, l l h dkei yDI] Mhi h, l ekx] ubz fnYyh&110012
www.plantauthority.gov.in



वार्षिक लेखा

2012–13

पृथक सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन के उत्तर सहित



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग
नई दिल्ली—110012

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	तुलन—पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा	3—4
4.	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ	5—13
5.	आय और व्यय की अनूसूचियाँ	14—19
6.	पूर्व अवधि समायोजन (अनुबंध—क)	20
7.	प्राप्त परियोजनाओं से हस्तांतरित के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — ख)	21—22
8.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — ग)	23—29
9.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — घ)	30
10.	नये डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — ङ)	31—33
11.	नये डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — च)	34
12.	संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्त राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — छ)	35
13.	फील्ड जीन बैंक से प्राप्त राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध — ज)	36
14.	प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध — झ)	37—41
15.	बाहरी संस्थाओं को पेशगियाँ (अनुबंध — झ)	42—43
16.	स्टाफ को पेशगी (अनुबंध — ट)	44
17.	डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के विरुद्ध पेशगी (अनुबंध — ट)	45—46
18.	विद्यमान डीयूएस केन्द्र /नये डीयूएस केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र से वसूली का विवरण (अनुबंध — ड)	47
19.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध — ढ)	48
20.	स्टाफ को दी गई पेशगियों की वसूली का विवरण (अनुबंध — ण)	49
21.	आपूर्तिकर्ताओं को दी गई पेशगी (अनुबंध — त)	50
22.	पीपीगी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियाँ (अनुसूची 24)	51—54
23.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 25)	55—59
24.	पृथक सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	60—64
25.	प्रबंधन के उत्तर	65—68

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र

राशि (रुपयों में)

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	13,24,08,267	10,12,55,675
आप्रक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	2	—	—
निर्धारित/स्थायी निधि	3	—	—
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	—	—
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	—	—
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	6	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	7	4,03,40,487	1,91,77,979
योग		17,27,48,754	12,04,33,654
परिसम्पत्तियां			
स्थिर परिसम्पत्तियां	8(A)	2,76,74,241	2,12,03,696
घटाएँ : संचयित मूल्यहक्क		1,78,53,194	1,47,54,455
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		98,21,047	64,49,241
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां	8(B)	1,78,38,219	—
निवेश – निर्धारित / स्थायी निधियों से	9	—	—
निवेश – अन्य से	10	—	—
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशागियां आदि	11	14,50,89,488	11,39,84,413
फुटकर व्यय		—	—
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)			
योग		17,27,48,754	12,04,33,654
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

2013

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल

आर.आर. हंडिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय का लेखा

राशि (रुपयों में)

आय	प्राधिकृत निधि			जीन निधि	
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	—	—	—	—
अनुदान/सहायता	13	15,32,70,863	14,45,84,986	50,00,000	50,00,000
शुल्क/चंदा	14	31,72,900	41,02,650	8,49,983	6,78,000
निवेशों से हुई आय	15	—	—	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	—	—	—	—
अर्जित व्याज	17	38,22,363	17,67,274	11,44,301	7,62,378
अन्य आय	18	2,36,569	3,15,027	—	—
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	—	—	—	—
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूलधार)		35,83,531	31,00,540	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		—	—	—	2,23,473
कुल (क)		16,40,86,226	15,38,70,478	69,94,284	66,63,851
व्यय					
स्थापना व्यय	20	3,64,99,570	3,00,50,111	—	—
अन्य प्रशासनिक आय आदि	21	2,84,59,357	2,09,61,424	46,04,021	22,13,178
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	22	6,30,04,554	5,97,39,470	—	—
व्याज	23	3,632	9,562	—	—
मूलधार (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		35,83,531	31,00,540	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		70,70,668	1,15,98,662	81,191	—
योग (ख)		13,86,21,312	12,54,59,769	46,85,212	22,13,178
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)		2,54,64,914	2,84,10,708	23,09,072	44,50,673
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अल-अलग बताएं)		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		—	—	—	—
कॉर्पस/पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)		2,54,64,914	2,84,10,708	23,09,072	44,50,673
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

अधिकारी
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा

राशि (रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगीयां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क. मौजूद नकद राशि	5,000	5,300	क) स्थापना व्यय	2,75,83,421	2,08,69,459
ख. बैंक अधिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (प्राधिकरण)	2,21,83,390	1,83,08,129
जीन निधि	58,53,950	1,20,923	2. निधियों के विरुद्ध भुगतान		
प्राधिकरण निधि (एसबीआई) मोड लेखा सहित	4,63,722	99,30,186	क) विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को (अनुबंध ग और घ)	3,24,08,334	3,46,16,124
सिडिकेट बैंक	2,41,96,312	25,06,758	ख) नये डीयूएस केन्द्रों को (अनुबंध ड. और च)	2,96,31,098	2,60,07,244
गुवहाटी बैंक	48,856	—	ग) प्रयोगशालाओं को (अनुबंध छ)	63,70,000	22,10,500
रांची बैंक	93,062	—	घ) फॉल्ड जीन बैंकों को (अनुबंध ज)	53,42,243	71,19,353
			3. अचल परिस्मयियों पर व्यय तथा चालू पूंजी कार्यों पर व्यय		
2. प्राप्त अनुदान			क) अचल सम्पत्तियों की खरीद (प्राधिकरण)	68,60,060	46,37,286
क) भारत सरकार से	16,02,33,000	15,00,00,000	ख) पूंजीगत चालू कार्यों पर व्यय	64,93,543	—
ख) राज्य सरकार से	—	—			
ग) अन्य स्रोतों से	—	—	4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध झ)	81,03,165	53,21,499
3. प्राप्त व्याज	—	—			
क) बैंक में जमा राशि पर			5. आपूर्तिकर्ताओं को पेशगी (अनुबंध त)	7,16,653	—
ख) ऋण, पेशगियां आदि					
जीन निधि	40,268	—	6. बाहरी संस्थाओं को पेशगी (अनुबंध झ)	27,53,256	30,98,574
प्राधिकरण निधि	10,86,257	10,48,775	7. प्राधिकरण के भवन निर्माण के लिये पेशगी	—	1,55,23,604
4. प्राप्त पेशगियां	—	1,05,000	8. डीयूएस परीक्षण के लिए पेशगी (अनुबंध ठ)	51,79,250	9,24,000
5. पेशगी की वसूली (अनुबंध ड)	4,12,626	3,41,675	9. फॉकिंग मशीन की रीफिलिंग	1,50,000	1,75,000
6. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			10. डीओसी को वापसी	—	185
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	30,32,000	39,20,000			

जारी है...

जामे प्रकाश सिंह

जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

2/४७

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल

आर.आर. हंडिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पीवीजे शुल्क	39,800	49,000	11. संगठनों/संस्थानों को योगदान	26,24,015	—
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	1,48,500	1,27,500			
वार्षिक शुल्क—जीन निधि	7,39,983	5,26,000	12. स्टाफ को पेशगी (अनुबंध ट)	41,43,829	28,41,414
पुराने समाचार—पत्रों, रद्दी की विक्री	26,240	600			
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	2,03,61,000	57,97,500	13. वित्त प्रभार	7,909	6,908
प्राप्त अन्य शुल्क	5,693	683			
7. स्टाफ से पेशगी की वसूली (अनुबंध ण)	11,99,503	10,39,389	14. प्राप्त पेशगी के विरुद्ध अदायगी	55,000	55,000
			15. मियादी जमा	13,24,00,000	3,40,00,000
8. मियादी जमा का नकदीकरण	11,16,80,872	3,67,97,466	16. पुराने डिमांड ड्राफ्ट की राशि की वापसी	32,600	600
9. पुराने चैकों की राशि की वापसीद)	38,503	—	17. पुराने दावों के विरुद्ध डीयूएस केन्द्रों को भुगतान	—	22,38,064
10. सीपीएफ (एफडी) का नकदीकरण	7,99,394	—			
11. जीवन बीमा निगम से प्राप्त अनुदान का दावा	2,88,927	—	18. अदा की गई विधिक देयताएं (अनुबंध ढ)	44,09,252	37,04,910
			19. अंत शेष		
12. बैंक द्वारा गलत नामे का सुधार	200	2,000	क) मौजूद नकद	10,000	5,000
			ख) बैंक में शेष राशि		
			भारतीय स्टेट बैंक (मोड सहित)	1,61,84,501	4,63,722
			सिंडिकेट बैंक	58,28,425	2,41,96,312
			जीन निधि	1,12,88,001	58,53,950
			गुवहाटी बैंक	17,160	48,856
			रांची बैंक	14,825	93,062
			बैंक इन ट्रांजिट	3,739	—
कुल	33,07,93,669	21,23,18,755	कुल	33,07,93,669	21,23,18,755

आर.प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपयों में)

	वालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 1 – कॉर्पस/ पूँजी निधि		
क) प्राधिकरण निधि		
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	8,55,08,252	5,47,83,070
जोड़ें : प्राधिकरण निधि के लिए योगदान	69,62,137	54,15,014
घटाएँ : मूल्य द्वास के लिए घटाव	35,83,531	31,00,540
जोड़ें (घटाएँ) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	2,54,64,914	2,84,10,708
ख) जीन निधि		
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	1,57,47,423	1,12,96,750
जोड़ें : कॉर्पस/ पूँजी निधि के लिए योगदान		
जोड़ें (घटाएँ)		
निवल आय की शेष राशि/ (व्यय) आय और व्यय लेखे से हस्तांतरित	23,09,072	44,50,673
वर्ष के अंत में शेष राशि	13,24,08,267	10,12,55,675
अनुसूची 2 – आरक्षित तथा अतिरिक्त राशियां		
1. पूँजीगत आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	—	—
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
2. पुनर्मूल्यांकनगत आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	—	—
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
3. विशेष आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	—	—
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
4. सामान्य आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	—	—
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
योग	—	—

जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 3. निर्धारित/स्थायी निधियां		
क. निधियों का आदि शेष	—	—
ख. प्राप्त की गई निधियां		
1. दान/अनुदान	—	—
2. निधियों पर किए गए निवेश से आय	—	—
3. अन्य अतिरिक्त राशि (प्रकृति बताएं)	—	—
योग (क + ख)	—	—
ग. उपयोग/निधियों के उद्देश्य पर व्यय		
1. पूँजी व्यय	—	—
अचल सम्पत्तियां		
अन्य		
2. राजस्व व्यय	—	—
वेतन, मजदूरी और भत्ते		
किराया		
अन्य प्रशासनिक व्यय		
योग (ग)	—	—
समाप्त वर्ष पर निवल शेष राशि (क+ख+ग)		—
अनुसूची 4. सुरक्षित ऋण ओर उधारियां		
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं		
क. आवधिक ऋण	—	—
ख. प्राप्ति तथा बकाया ब्याज	—	—
4. बैंक		
क. आवधिक ऋण	—	—
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	—	—
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां	—	—
6. डिबेंचर और बॉण्ड	—	—
7. अन्य	—	—
योग	—	—

आर.आर. कृष्ण
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. कृष्ण
आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 5 : असुरक्षित ऋण और उधारियां		
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
4. बैंक		
क. आवधिक ऋण	—	—
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	—	—
5. संस्थाएं तथा एजेंसियां	—	—
6. डिबेंचर और बॉण्ड	—	—
7. स्थायी जमा	—	—
8. अन्य	—	—
योग	—	—
अनुसूची 6. आस्थगित ऋण देयताएं		
क. पूँजी उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियां की जमानत द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां	—	—
ख. अन्य	—	—
योग	—	—

जामे प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान		
क. चालू देयताएं		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध ऋण		
क. माल के लिए	20,000	2,35,355
ख. अन्य के लिए	117	—
ग. स्टाफ के लिए	18,60,033	11,19,087
बकाया वेतन	2,36,270	2,07,443
बकाया मजदूरी	5,02,102	12,25,835
डीयूएस केन्द्रों के लिए देयताएं	8,03,896	—
बकाया सामान्य सेवा प्रभार	1,49,910	—
टीए के लिए देयता	1,23,620	—
चिकित्सा व्यय के लिए देयता	1,93,825	7,62,084
विद्यमान डीयूएस केन्द्र के लिए	17,30,097	8,40,801
नए डीयूएस केन्द्रों के लिए देयता	—	3,82,152
फील्ड जीन बैंक के लिए देयता	56,19,870	47,72,757
3. प्राप्त पेशगियां		
वार्षिक शुल्क के लिए पेशगी	66,000	—
वापसी योग्य वार्षिक शुल्क	70,000	—
पंजीकरण शुल्क के लिए पेशगी / पंजीकरण शुल्क	20,000	—
पीवीजे शुल्क के लिए पेशगी	18,900	35,100
निविदा के विरुद्ध धरोहर राशि	2,30,000	2,85,000
4. एकत्रित व्याज जो बकाया नहीं था		
क. सुरक्षित ऋण / उधारियां	—	—
ख. असुरक्षित ऋण / उधारियां	—	—
5. वैधानिक देयताएं		
क. ओवरड्रू	—	—
ख. अन्य		
ठेके पर टीडीएस	52,823	1,69,866
व्यवसाय पर टीडीएस	63,635	37,642
विज्ञापन पर टीडीएस	1,838	8,789
वेतन पर टीडीएस	1,17,120	68,000
नई पेंशन योजना	1,36,647	1,32,817
लाइसेंस शुल्क	3,487	3,289
जीपीएफ	81,482	45,456
सीपीएफ	—	8,000
व्यवसाय कर	208	208
अन्य	5,933	10,538
एचबीए	7,558	7,883
सीजीएचएस	325	325
सीजीईजीआईएस	2,585	2,140
	4,73,641	4,94,953

जारी है...

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
6. अन्य चालू देयताएं सीपीएफ निधि लेखा डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता	— 3,17,67,500	6,10,136 3,17,67,500 1,14,07,500	1,20,17,636
योग (क)	3,82,65,911		1,76,05,446
ख. प्रावधान			
1. कर के लिए 2. ग्रेचुटी के लिए 3. सेवानिवृत्ति पेशन 4. संचयी छुट्टी नकदीकरण 5. व्यापार वारटियां / दावे		— 8,94,587 — 11,79,989 —	— 7,07,707 — 8,64,826 —
योग (ख)	20,74,576		15,72,533
महा योग (क + ख)	4,03,40,487		1,91,77,979

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012


2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012


अनुसूची 8 – अचल सम्पत्तियाँ

राशि (रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक		जेसा कि वर्ष के आस्ते में लागत/सूखाकान	वर्ष के अंत में लागत/सूखाकान	मूलधनस		इमायरेट क्षति	वर्ष के दौरान कटौती	निवल वर्ष के अंत में लागत		
	वर्ष के आस्ते में लागत/सूखाकान	वर्ष के दौरान कटौती अविभक्त प्राप्ति			वर्ष के अंत में लागत/सूखाकान	वर्ष के अंत में लागत			वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के अंत में लागत	
क. अचल सम्पत्तियाँ											
1 भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क. फैहाल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख. पटेदारी पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2 इमारत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क. फैहोल्ड जमीन पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख. पटेदारी की जमीन पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग. स्थानिक फलेट /परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 घ, सीमा क्षेत्र से इतर भूमि पर सरकारी संयंत्र मशीनरी व उपकरण	7,35,194	6,09,460	13,44,654	1,78,131	86,179	–	–	2,64,311	10,80,343	5,57,063	–
4 वाहन	16,65,687	12,04,560	28,70,247	7,84,569	3,12,861	–	–	10,97,370	17,72,877	8,81,178	–
5 फर्नीचर, फिक्चर	4,43,383	–	4,43,383	3,16,244	19,071	–	–	3,35,315	1,08,068	1,27,139	–
6 कार्यालय उपकरण	23,23,563	7,39,693	37,349	30,25,907	5,98,025	2,14,812	–	37,149	7,75,689	22,50,218	17,25,538
7 कम्प्यूटर / समबद्ध उपकरण	1,25,22,769	31,56,001	4,04,507	1,52,74,263	1,03,66,901	1,20,735	–	48,336	3,03,691	12,16,701	9,69,346
8 पुस्तकालय में पुस्तकें	21,57,059	82,188	–	22,39,247	21,57,059	82,188	–	3,99,307	1,24,55,190	28,19,073	21,55,868
9 नालकपु तथा जलापूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	22,39,247	–	–
10 अन्य अचल सम्पत्तियाँ / साफटवेयर / सीई	1,55,403	8,00,745	–	9,56,148	1,22,293	2,60,089	–	–	3,82,383	5,73,765	33,110
चालू वर्ष का योग	2,12,03,696	69,62,137	4,91,592	2,76,74,241	1,47,54,455	35,83,531	–	4,84,792	1,78,53,194	98,21,047	64,49,241
पिछले वर्ष	1,61,32,222	54,15,014	3,43,540	2,12,03,696	1,17,61,620	30,93,340	7,200	1,07,705	1,47,54,455	64,49,241	43,70,602
ख चालू तंजीगत कार्य योग										1,78,38,219	–
										2,76,59,266	64,49,241


 जय प्रकाश सिंह
 वित्तीय सलाहकार
 पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
 भारत सरकार
 एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
 नई दिल्ली-110012


 अरुण कुमार
 महापंचायक
 पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
 कृषि भारतालय, भारत सरकार
 एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
 नई दिल्ली-110012



आरुण कुमार

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
 कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
 एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
 नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<u>अनुसूची 9 निर्धारित / स्थायी निधि से निवेश</u>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	—	—
3. शेयरों में	—	—
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	—	—
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त कियाकलापों में	—	—
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	—	—
कुल	—	—
<u>अनुसूची 10. निवेश – अन्य</u>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	—	—
3. शेयरों में	—	—
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	—	—
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त कियाकलापों में	—	—
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	—	—
कुल	—	—

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशागियां			
क. चालू परिसम्पत्तियां			
1. वस्तु—सूची			
क. भंडार एवं पुर्ज	—	—	—
ख. फुटकर औजार	—	—	—
ग. मौजूद स्टॉक	—	—	—
तैयार माल	—	—	—
चालू कार्य	—	—	—
कच्चा माल	—	—	—
2. छोटे ऋण			
क. 6 माह की अवधि के बकाया ऋण	—	—	—
ख. अन्य	—	—	—
3. मौजूद नकद शेष राशि (चैक, ड्रॉफ्ट, उच्चांद, टिकटें)			
उच्चांद	10,000	5,000	
मौजूदा नकद राशि	—	—	
मौजूद टिकटें	1,10,595	1,20,595	36,489
4. बैंक में शेष राशि			41,489
क. अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में			
प्राधिकरण निधि की नकद बही	1,61,84,501	4,63,722	
जीन निधि की शेष राशि	1,12,88,001	58,53,950	
जमा खातों में			
जीन निधि	59,39,193	96,58,711	
प्राधिकरण निधि	3,35,72,965	59,91,482	
बचत खातों में			
सिडिके बैंक (प्राधिकरण)	58,28,425	2,41,96,312	
एसबीआई, गुवहाटी	17,160	48,856	
एसबीआई, रांची	14,825	93,062	
बैंक – ट्रांजिट में	3,739	7,28,48,809	—
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में			4,63,06,095
चालू खातों में	—	—	
जमा खातों में	—	—	
बचत खातों में	—	—	—
योग (क)		7,29,69,404	4,63,47,584

अधिकारी प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि (रुपयों में)
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां		
ख. ऋण पेशगियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क. स्टाफ को	25,000	46,401
ख. सामान्य क्रियाकलापों/उद्देश्यों से संबंधित प्रविष्टियां	–	–
ग. अन्य, प्रधान डाकघर को पेशगी	–	
2. प्राप्त मूल्य के लिए नकद या अन्य किसी रूप में वसूली योग्य पेशगियां और अन्य राशियां		
क. पूँजी लेखे में		
प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए पेशगी राशि	52,16,630	1,58,39,801
ख. पूर्व अदायगियां		
एचसीएल इन्फो प्रणाली लिमिटेड को पेशगी	4,52,180	–
सहारा नेट कारपोरेशन को पेशगी	3,03,908	–
पूर्व पेशगी व्यय	1,92,544	21,383
डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशगी	77,00,500	25,39,250
प्रशिक्षण के लिए पेशगी	65,80,043	51,62,565
बाहरी संस्थाओं के लिए पेशगी	1,44,166	11,46,672
नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	2,53,07,094	1,70,96,240
संदर्भ प्रयोगशालाओं के लिए पेशगी	68,91,595	22,10,500
फील्ड जीन बैंक के लिए पेशगी	42,15,682	66,17,009
विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के लिए पेशगी	1,39,68,452	7,09,72,794
ग. अन्य		
वापसी योग्य आयकर	85,559	85,559
प्राप्त योग्य सीपीएफ	45,000	45,000
सीपीएफ जमा खाता	–	6,10,136
बैंक से प्राप्त योग्य	600	600
बंक द्वारा गलत नामे	–	1,31,159
3. संचित आय		
क. निधारित/ बंदोबस्ती निधियों के निवेश से	–	–
ख. अन्य निवेश से	–	–
ग. ऋण तथा पेशगी से	–	–
घ. अन्य	–	–
1) एसबीआई में एमओडी खाते पर अर्जित व्याज	5,93,131	1,42,369
2) वसूली योग्य वार्षिक शुलक	3,98,000	1,52,000
4) प्राप्त दावे (ग्रेव्युटी)	–	9,91,131
योग (ख)		–
महा योग (क+ख)		7,21,20,084
		6,76,36,829
		14,50,89,488
		11,39,84,413

जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2013 को आय और व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 12 – बिकी/सेवाओं से आय		
1. बिकी से आय		
क. तैयार माल से बिकी	—	—
ख. कच्चे माल से बिकी	—	—
ग. रद्दी की बिकी	—	—
2. सेवाओं से आय		
क. मजदूरी तथा प्रसंस्करण प्रभार	—	—
ख. व्यवसायी/परामर्शदायी सेवाएं	—	—
ग. एजेंसी कमीशन और दलाली	—	—
घ. रखरखाव सेवाएं	—	—
ड. अन्य	—	—
कुल	—	—
अनुसूची 13— ग्रांट/अनुदान (प्राधिकरण निधि)		
केन्द्र सरकार से	15,32,70,863	14,45,84,986
राज्य सरकार से	—	—
सरकारी एजेंसियों से	—	—
संस्थाओं/कल्याण निकायों से	—	—
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से	—	—
अन्य	—	—
योग	15,32,70,863	14,45,84,986
ग्रांट/अनुदान (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	50,00,000	50,00,000
योग	50,00,000	50,00,000

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 14—शुल्क/अंशदान (प्राधिकरण निधि)		
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	29,68,400	39,20,000
अंशदान/पीवीजे शुल्क	56,000	49,150
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	—	—
परामर्श शुल्क/डीयूएस शुल्क	—	—
विरोध के नोटिस के लिए शुल्क	1,48,500	1,27,500
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए प्रभार सेवाएं	—	6,000
योग	31,72,900	41,02,650
शुल्क/अंशदान (जीन निधि)		
बीजों की बिक्री से हिस्सा	1,75,983	—
वार्षिक शुल्क	6,74,000	6,78,000
योग	8,49,983	6,78,000

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. व्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	—	—	—	—
ख. अन्य बाण्ड/डिबेंचर	—	—	—	—
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	—	—	—	—
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	—	—	—	—
3. किराया	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—
योग	—	—	—	—
निर्धारित/अस्थायी निधियों को हस्तांतरित	—	—	—	—

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 16 : रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		
रॉयल्टी से आय	—	—
प्रकाशनों से आय	—	—
अन्य	—	—
योग	—	—
अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से		
सावधि जमा (एसबीआई)	11,34,919	8,39,055
एमओडी लेखा (सकल)* (एसबीआई)	6,21,600	4,23,887
सावधि जमा (सिंडिकेट बैंक)	15,72,965	—
गैर-अनुसूचित बैंक से	—	—
संस्थाओं से	—	—
अन्य से	—	—
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों से (सिंडिकेट बैंक)	4,27,470	4,29,023
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	3,410	16,950
डाकघर बचत खाते से	—	—
अन्य से	—	—
3. ऋण पर		
कर्मचारियों/स्टाफ से	—	—
अन्य से	—	—
4. लेनदारों तथा अन्य प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त ब्याज	56,091	58,359
5. सीपीएफ पर ब्याज	5,907	—
योग	38,22,363	17,67,274
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	6,19,494	7,62,378
स्वीप लेखे पर अर्जित ब्याज	5,24,807	—
योग	11,44,301	7,62,378

*टिप्पणी : स्रोत पर काटा गया कर – शून्य (पिछले वर्ष – 2797 रुपये)

भारत प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 18. अन्य आय		
चल सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर निवल लाभ	1,300	—
अनुदान से अधिगृहीत सम्पत्तियां या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियां	—	—
प्राप्त किए गए नियर्यात प्रोत्साहन	—	—
विविध सेवाओं के लिए शुल्क	—	—
स्टाफ कार के लिए फुटकर आय	4,679	6,720
पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं व कबाड़ की बिक्री	18,140	600
अध्यक्ष की पेंशन से वसूली	2,06,757	2,96,964
फुटकर आय (अन्य)	5,693	10,743
योग	2,36,569	3,15,027
अनुसूची 19: तैयार माल के स्टॉक व चालू कार्यों में वृद्धि/गिरावट		
अंत स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
आदि स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
निवल वृद्धि/गिरावट	—	—
अनुसूची 20: स्थापना व्यय		
मूल वेतन	68,15,292	58,73,417
बोनस	27,632	24,178
महंगाई भत्ता/ग्रेड वेतन	15,69,393	13,11,339
कम्पोजिट स्थानांतरण अनुदान	98,330	1,66,010
महंगाई भत्ता	60,36,547	41,72,885
परिवहन भत्ता	10,73,974	8,56,406
नई पेंशन निधि में योगदान	5,83,526	5,77,885
सीपीएफ में नियोक्ता का योगदान	64,000	96,000
आवास किराया भत्ता	18,75,833	16,97,782
छुट्टी नकदीकरण	6,12,037	3,79,618
छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान	10,24,765	9,95,472
छुट्टी यात्रा रियायत	2,91,729	1,40,370
बाल/बालिका शिक्षा भत्ता	87,649	1,01,950
ग्रेचुटी	1,86,880	3,01,664
मजदूरी	31,47,297	18,37,606
ठेके पर स्टाफ का वेतन	71,66,562	59,12,573
स्टाफ कल्याण व्यय	7,35,453	5,41,122
वेतन व भत्ते – अन्य	1,02,671	63,834
जीन निधि में योगदान	50,00,000	50,00,000
योग	3,64,99,570	3,00,50,111

जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 21. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)		
सिटिंग प्रभार	4,48,120	3,41,700
व्यवसायिक व्यय	11,42,528	20,45,504
बिजली तथा जल व्यय	11,05,177	8,59,538
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	10,69,628	20,20,310
डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन	13,12,292	7,95,829
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय	8,96,305	6,79,661
उपकरणों/वाहनों का रखरखाव व मरम्मत	1,90,547	2,53,074
फर्नीचरों/फिक्चरों का रखरखाव व मरम्मत	1,05,323	1,13,847
कम्प्यूटर का रखरखाव व मरम्मत	1,82,654	1,01,542
रखरखाव व मरम्मत (पेट्रोल और डीजल)	1,16,348	1,40,005
रखरखाव व मरम्मत (अन्य)	71,671	54,131
समाचार पत्र में विज्ञापन	33,68,206	27,35,571
पत्रिका/जरनल व स्मारिका में विज्ञापन	21,898	7,800
प्रचार सामग्री	—	20,428
प्रदर्शनियां, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों पर व्यय	12,08,821	6,05,527
प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	77,18,011	17,01,898
किराया, दरें और कर	3,60,625	20,92,463
सामान्य सेवा प्रभार	8,42,790	6,76,673
यात्रा व्यय – घरेलू – स्टाफ	24,24,087	18,63,878
यात्रा व्यय – घरेलू – विशेषज्ञ	32,51,753	13,96,348
बीमा	2,969	6,773
यात्रा व्यय – विदेश – स्टाफ	13,687	74,433
समाचार पत्र	36,910	31,070
फुटकर व्यय	2,85,981	1,78,228
किराया प्रभार – वाहन	12,37,592	10,38,558
किराया प्रभार – अन्य	9,38,032	7,29,381
स्तकार व्यय	1,07,402	1,76,419
निपटाई गई संपत्तियों पर हानि	—	2,20,835
योग	2,84,59,357	2,09,61,424
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (जीन निधि)		
आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाउ उपयोग पर व्यय	40,00,000	20,00,000
घटना प्रबंधन पर व्यय	6,04,021	2,13,178
योग	46,04,021	22,13,178

अ.अ.प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 22 गांटों/अनुदानों आदि पर व्यय		
संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान (अनुबंध ग,घ,ड., च, छ और ज के अनुसार)	6,03,80,539	5,97,39,470
संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	—	—
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (आईटीपीजीआरएफए) को दिए गए योगदान	26,24,015	—
योग	6,30,04,554	5,97,39,470
अनुसूची 23 : ब्याज		
निश्चित ब्याज पर	—	—
अन्य विशिष्ट (बैंक प्रभार सहित)	3,632	6,908
अन्य	—	2,654
योग	3,632	9,562

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	प्राधिकरण निधि			
1	प्रशासनिक व्यय	5,34,928	–	5,34,928
2	प्रशिक्षण व्यय	20,16,362	–	20,16,362
3	विद्यमान डीयूएस	19,32,284	44,439	18,87,845
4	नए डीयूएस	12,21,945	929	12,21,016
5	संदर्भ प्रयोगशालाएं	1,75,000		1,75,000
6	फील्ड जीन बैंक	11,32,167	–	11,32,167
7	मियादी जमा पर ब्याज	1,03,350	–	1,03,350
	योग	71,16,036	45,368	70,70,668
	जीन निधि			
1	मियादी जमा पर ब्याज	81,191	–	81,191
	योग	81,191	–	81,191

आर.आर. हाँचनाल
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुबंध – ख

क. प्राप्य परियोजनाओं से हस्तांतरित राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	0.4.2012 को शेष	हस्तांतरण	अंत शेष	हस्तांतरित शीर्ष का नाम
1	बीएयू, रांची	15,50,000	15,50,000	–	फील्ड जीन बैंक
2	जीपीयू और टी, पंतनगर	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
3	एमएसएसआरएफ, चैन्नई	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
4	सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम	1,17,642	1,17,642	–	नया डीयूएस केन्द्र
5	डॉ. बाला साहेब कृषि विद्यापीठ, धपोली	2,81,655	2,81,655	–	फील्ड जीन बैंक
6	आनुवंशिकी संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	35,026	35,026	–	नया डीयूएस केन्द्र
7	सीआईएमएपी, लखनऊ	87,863	87,863	–	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
8	एनआरसीएसएस, अजमेर	9,00,000	9,00,000	–	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
9	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	1,57,137	1,57,137	–	नया डीयूएस केन्द्र
10	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	1,60,354	1,60,354	–	फील्ड जीन बैंक
11	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, कृषक जागरूकता	9,184	9,184	–	नया डीयूएस केन्द्र
12	बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आईएआरआई, पीक्यूपी	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
13	डीयूएमएपीआर, आनंद	1,41,052	1,41,052	–	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
14	एसडी कृषि विश्वविद्यालय	8,98,309	8,98,309	–	नया डीयूएस केन्द्र
15	सुराक्षित कृषि, आईआईवीआर	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
16	आईआईएसआर, काजीकोड	2,40,771	2,40,771	–	नया डीयूएस केन्द्र
17	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु गुलाब	65,326	65,326	–	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
18	जीन कैप्पेन, नई दिल्ली	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
19	निदेशक, एनआरसी – सिट्रस, नागपुर	2,28,107	2,28,107	–	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
20	वांघल नागापटिटनम	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
21	टोकलाई एक्सप्रेसिमेंटल रिसर्च स्टेशन, जोरहट	2,69,153	2,69,153	–	नया डीयूएस केन्द्र
22	निदेशक, एचएफआरआई, शिमला	1,43,245	1,43,245	–	नया डीयूएस केन्द्र
23	निदेशक, भा.कृ.अ.प., उत्तर प्रूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर	3,52,800	3,52,800	–	नया डीयूएस केन्द्र
24	निदेशक, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट	1,57,545	1,57,545	–	नया डीयूएस केन्द्र
25	निदेशक, कैन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान	17,68,708	17,68,708	–	नया डीयूएस केन्द्र
26	एनआरसी – अंगूर	10,77,784	10,77,784	–	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
27	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर	–	–	–	नया डीयूएस केन्द्र
28	सीआरआरआई, कटक, नई परियोजना	5,45,500	5,45,500	–	संदर्भ प्रयोगशालाएं
29	काजरी, जोधपुर – फील्ड जीन बैंक	46,25,000	46,25,000	–	फील्ड जीन बैंक
30	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	8,00,000	8,00,000	–	संदर्भ प्रयोगशालाएं
31	डीओआर, हैदराबाद	–	–	–	
	योग	1,46,12,161	1,46,12,161	–	

जाम्बुकान्तर स्थान

जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

2/४९

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर.हंडिनाल

आर.आर. हंडिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

ख. अदायगी योग्य परियोजनाओं से हस्तांतरित राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र.सं	परियोजनाओं का नाम	01.04.2012 को शेष	हस्तांतरण	अंत शेष	हस्तांतरित शीर्ष का नाम
1	एफसीआरआई कोयबद्दूर (टीएनएयू)	2,82,367	2,82,367	-	नया डीयूएस केन्द्र
2	सी.आई.टी.एच, श्रीनगर	3,15,543	3,15,543	-	नया डीयूएस केन्द्र
3	इन्सीट्यूट ऑफ इनवीरोन्टमेंट एन्ड इकोनोमिक ड्यप्लपमेंट, पटना	16,457	16,457	-	नया डीयूएस केन्द्र
4	डाइरेक्टर, एन.आर.सी., बेनाना, ट्रीची	3,10,269	3,10,269	-	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
5	कम्पोलर, डा. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ होर्टिकल्चर एन्ड फोरिस्ट्र	3,82,152	3,82,152	-	फील्ड जीन बैंक
6	आईआईवीआर वाराणसी	64,360	64,360	-	विद्यमान डीयूएस केन्द्र
	योग	13,71,148	13,71,148	-	

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्लौरे दर्शने वाला विवरण

वित्त वर्ष 20012–13 का वार्षिक लेखा

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	1.4.2012 को शेष	आंतरिक हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012–13 के दौरान जारी राशि	गोग 2012–13 के दौरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
1	आईआईपीआर, वाराणसी	1,76,437	–	–	1,76,437	–	7,73,563	9,50,000	8,62,584	87,416
2	आईआईपीआर, बगुलुक (शासकीय फसलें)	11,93,048	–	–	11,93,048	–	4,06,952	16,00,000	8,54,291	7,45,709
3	आईआईपीआर, बगुलुक (अलंकारिक फसलें)	72,385	–	–	72,385	–	3,77,615	4,50,000	3,98,029	51,971
4	सीमीएसएचएयू हिस्सर	1,22,717	–	–	1,22,717	–	4,27,823	5,50,540	–	5,50,540
5	सीएसएयू और ई. कानपुर	25,001	–	–	25,001	–	3,74,999	4,00,000	1,99,943	2,00,057
6	परियोजना समन्वयक, तिल तथा नाइजर, जेनकी, जबलपुर	–	–	–	–	–	4,49,987	4,49,987	4,38,296	11,691
7	आईआईपीआर कानपुर (चना / अरहर)	6,64,819	–	–	6,64,819	–	–	6,64,819	5,55,454	1,09,365
8	आईआईपीआर, कानपुर (मुलापं)	36,905	–	–	36,905	–	4,63,095	5,00,000	–	5,00,000
9	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदरबाद	–	–	–	–	–	7,50,000	7,48,914	1,086	
10	टीएएयू कोयम्बटूर	5,458	–	–	5,458	–	16,49,833	16,55,291	–	16,55,291
11	एमपीकेवी, राहुड़ी	20,000	–	-1,294	21,294	–	10,66,706	10,88,000	7,81,206	3,06,794
12	द्वितीय केन्द्र, आईआरआई, करनाल	1,89,675	–	–	1,89,675	–	2,60,325	4,50,000	3,05,326	1,44,674
13	द्वितीय केन्द्र, आईआरआई, इंदौर	3,11,205	–	–	3,11,205	–	2,19,955	5,31,160	3,41,743	1,89,417

जारी है।

आर.आर. चौधरी

आर.आर. चौधरी

अध्यक्ष

पो.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82

आर.सी. अग्रवाल

महाराजीकार

पो.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

प्रभु
जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पो.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	1.4.2012 को शेष	आंतरिक हस्तांतरण	2011-12 के दोरान व्यय	01.04.2012 को संगोष्ठित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012-13 के दोरान जारी राशि	योग	2012-13 के दोरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
14	दोत्रीय केन्द्र, आईआरआई, कराई	56,749	—	—	56,749	—	3,93,251	4,50,000	3,20,324	1,29,676	
15	पुष्पविज्ञान संभाग, आईआरआई, नई दिल्ली	7,239	—	—	7,239	—	2,17,761	2,25,000	2,01,940	23,060	
16	एनआरसी – याज और लहसुन, राज्युल्लनगर	1,21,199	—	—	1,21,199	—	3,28,801	4,50,000	3,85,871	64,129	
17	केंद्रीय आलू अनुसंधान संथान, बिमला	1,11,735	—	—	1,11,735	—	4,38,265	5,50,000	2,54,784	2,95,216	
18	भारतीय गन्ना अनुसंधान संथान, लखनऊ	55,673	—	—	55,673	—	5,37,270	5,92,943	5,43,707	49,236	
19	गन्ना प्रजनन संथान, कोपाबत्तरू	2,57,808	—	—	2,57,808	—	2,92,192	5,50,000	4,36,424	1,13,576	
20	गन्ना प्रजनन संथान, अगाली	37,114	—	—	37,114	—	3,12,886	3,50,000	2,83,617	66,383	
21	गन्ना प्रजनन संथान, करनाल	1,38,867	—	—	1,38,867	—	3,11,133	4,50,000	3,68,233	81,767	
22	सीआरआईजे और एफ, हैरकपुर (बुदबुद)	4,30,884	—	—	4,30,884	—	5,63,116	10,00,000	6,39,693	3,60,307	
23	केंद्रीय चावल अनुसंधान संथान, कटक	37,135	—	—	37,135	—	11,29,958	11,67,093	7,88,312	3,78,781	
24	चावल अनुसंधान निदेशालय, हेवराबाद	9,50,000	—	8,90,900	59,100	—	8,90,900	9,50,000	5,91,027	3,58,973	
25	मीमीकेएप्स, अलोडा	—	—	—	—	—	4,50,000	4,50,000	3,20,512	1,29,488	
26	जीवीपीयू और टी, पंतनार	1,14,108	—	—	1,14,108	—	4,25,892	5,40,000	5,32,547	7,453	
27	च्चार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद (एनआरसीएस)	3,22,088	—	—	3,22,088	—	6,27,912	9,50,000	8,10,414	1,39,586	
28	एनआरसी सोयाबीन का निदेशालय, इंदौर	24,069	—	—	24,069	—	5,25,931	5,50,000	3,41,625	2,08,375	

जारी है।
नियंत्रित करना चाहिए।

2/29

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. कामप्लैक्स
नई दिल्ली-110012

गुरु
जय प्रकाश सिंह

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. कामप्लैक्स

नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	डोयूएस केन्द्र का नाम	1.4.2012 को शेष हस्तांतरण	आंतरिक हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012–13 के दौरान जारी राशि	योग	2012–13 के दौरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
29	एनआरसीआर और एम, भरतपुर	1,84,088	—	—	1,84,088	—	3,16,686	5,00,774	4,85,961	14,813	
30	जीडब्ल्यूआर, करनाल	2,64,861	—	—	2,64,861	—	6,85,139	9,50,000	9,06,317	43,683	
31	जीडब्ल्यूआर, करनाल (जो)	13,40,456	—	—	13,40,456	—	—	13,40,456	10,78,002	2,62,454	
32	पीडीकेवी, अकोला	80,706	—	—	80,706	—	4,49,467	5,30,173	4,49,942	80,231	
33	मंदर, पीसी, आरएच वीकानर	2,60,425	—	—	2,60,425	—	6,89,575	9,50,000	6,00,078	3,49,922	
34	पीसी, सीआईसीआर, कोयम्बत्तूर	53,145	—	—	53,145	—	9,78,855	10,32,000	6,09,732	4,22,268	
35	सीआईसीआर, नापुर	1,95,413	—	—	1,95,413	—	4,54,587	6,50,000	3,52,412	2,97,588	
36	पीएस्ट्रुटियाना	26,676	—	—	26,676	—	5,60,686	5,87,362	5,24,955	62,407	
37	एनआरसी – मूफकली, कुनागढ़	74,293	—	-43,145	1,17,438	—	3,32,562	4,50,000	4,39,764	10,236	
38	एनआरसी – ऑर्किड, सिविकम	1,05,978	—	—	1,05,978	—	3,44,022	4,50,000	3,80,823	69,177	
39	पीसी, अलसी, कानपुर (सीएसएस्ट्रुट और ई), कानपुर	—	—	—	—	—	1,86,894	1,86,894	1,48,193	38,701	
40	एएस्ट्रुट, जोरहट	4,50,000	—	2,76,969	1,73,031	—	2,76,969	4,50,000	—	4,50,000	
41	आईआईएसआर, कालीकट	2,62,175	—	—	2,62,175	—	2,87,825	5,50,000	5,02,246	47,754	
42	सीआईएसएच, तरखनउ	7,52,570	—	—	7,52,570	—	13,96,318	21,48,888	16,23,823	5,25,065	
43	जोएस्ट्रुट, जानमगर	2,88,799	—	—	2,88,799	—	1,88,194	4,76,993	1,65,391	3,11,802	
44	केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैम्पसगाड़	1,85,849	—	17,600	1,68,249	—	4,31,751	6,00,000	4,24,725	1,75,275	

जारी है।

आरएसी

आर.आर. हाचिनाल

अध्यक्ष

पी.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012**2182**

आर.सी. अग्रवाल

महारांगड़ीकार
पो.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012**2182**जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकारपो.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	1.4.2012 को शेष	आतंरिक हस्तांतरण	2011-12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012-13 के दौरान जारी राशि	योग दर्शन व्यय	2012-13 के दौरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
45	सीआईएच. (खजुर)	बीकानेर	6,98,717	—	—	6,98,717	6,98,717	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
46	सीआईएच., बीकानेर (बेर)		11,86,495	—	—	11,86,495	11,86,495	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
47	सीआईटीएच., श्रीनगर, द्वारेसी		3,30,737	—	—	3,30,737	3,30,737	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
48	सीआईटीएच., श्रीनगर, आडू और ताड		3,60,941	—	—	3,60,941	—	—	3,60,941	1,90,109	1,70,832
49	नियंत्रक, डॉ. वाईएस. परमार बागवानी एवं वन विवरणीलय – कार्यशान		5,45,000	—	—	5,45,000	5,45,000	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
50	पुष्ट अनुसंधान निदेशालय, आईआरआई, नई दिल्ली – रातरानी		4,25,153	—	—	4,25,153	4,25,153	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
51	आईआईएचआर, बंगलुरु – पिपीता और शरीफा		1,45,323	—	—	1,45,323	1,45,323	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
52	आईआईएचआर, बंगलुरु – कार्यशान		3,85,882	—	—	3,85,882	3,85,882	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
53	आईआईएचआर, बंगलुरु – चाइना एसर		1,50,506	—	—	1,50,506	1,50,506	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
54	आईआईएचआर, बुगलुरु – चमेली		4,55,690	—	—	4,55,690	4,55,690	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
55	आईआईएचआर, बंगलुरु – स्ट्रावर्सी		3,75,159	—	—	3,75,159	3,75,159	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
56	आईआईएचआर, बंगलुरु – रातरानी		5,25,150	—	—	5,25,150	5,25,150	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
57	आईआईएचआर, बंगलुरु – गेंदा		1,55,000	—	—	1,55,000	1,55,000	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र
58	आईआईएचआर, बंगलुरु – पान लता		4,80,500	—	—	4,80,500	4,80,500	—	—	—	नए डीयूएस केन्द्र

जारी है।
आपूर्ति विभाग

आरआर. हैविनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110012

2/29

आरसी. अग्रवाल

भवानीपुराण
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110012

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	14.2012 को शेष	आंतरिक हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012–13 के दौरान जारी राशि	योग	2012–13 के दौरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
59	आईआरआईचआर, बंगलुरु — मिर्च	10,12,892	—	—	10,12,892	10,12,892	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
60	आईआरआईचआर, बंगलुरु — चौलाई	4,88,000	—	—	4,88,000	4,88,000	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
61	केपयू – विश्वर (ऑफिस)	6,17,500	—	—	6,17,500	—	6,17,500	—	6,17,500	—	6,17,500
62	एमपीकेवी, राहडी (चाइना एस्टर)	4,51,000	—	—	4,51,000	—	4,51,000	—	4,51,000	—	4,51,000
63	एनडीयू और ई. फैजाबाद (ज़ी)	2,68,250	—	—	2,68,250	—	1,81,750	4,50,000	2,46,318	2,03,682	
64	एसएफआरआई, इटानगर – अरण्याचल प्रदेश – ऑफिस	6,17,500	—	—	6,17,500	—	6,17,500	—	457,466	1,60,034	
65	टीएनएयू कोयम्बत्तूर – चमली	5,42,000	—	—	5,42,000	5,42,000	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
66	टीएनएयू कोयम्बत्तूर – पीपीता आर श्रीकाळा	1,50,000	—	—	1,50,000	1,50,000	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
67	एनआरसीपी, शोलापुर	3,03,000	—	—	3,03,000	3,03,000	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
68	एनबीआरआई, लखनऊ – केन्ना किस्में	11,900	—	—	11,900	11,900	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
69	काजरी, जोधपुर – अनार	2,70,000	—	—	2,70,000	2,70,000	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
70	आईआरआई, नई दिल्ली – रोड	4,80,090	—	—	4,80,090	4,80,090	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
71	आईआरआई, पुष्पविज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली – गुलाबउदी	6,25,000	—	—	6,25,000	—	6,25,000	—	247,418	3,77,582	
72	आईआरआई, नई दिल्ली — मिर्च	1,20,421	—	—	1,20,421	1,20,421	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र
73	आईआरआई, नई दिल्ली — चौलाई	98,161	—	—	98,161	98,161	—	—	—	—	नए डीयूस केन्द्र

जारी है।

आरएसी

आर.आर. हाचिनाला

अध्यक्ष

पौ.कि.कु.अ.सं. प्राधिकरण

महापंचायत्री

पौ.कि.कु.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कु.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	1.4.2012 को शेष	आंतरिक हस्तांतरण	2011-12 के दोरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012-13 के दोरान जारी राशि	योग	2012-13 के दोरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
74	एनबीपीजीआरआई, नई दिल्ली – दाना चौलाई	8,57,832	–	–	8,57,832	8,57,832	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
75	एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला – दाना चौलाई	1,34,000	–	–	1,34,000	1,34,000	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
76	एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, फागली – दाना चौलाई – शिमला	1,12,621	–	–	1,12,621	1,12,621	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
77	वीसीकेबी, कल्याण – पान लता	1,55,500	–	–	1,55,500	1,55,500	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
78	वीसीकेबी, कल्याणी – जीमीकंद	2,40,500	–	–	2,40,500	2,40,500	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
79	सीटीरीआरआई, त्रिवेद्धम – जीमीकंद	1,11,254	–	–	1,11,254	1,11,254	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
80	सीआईएसएच, लखनऊ – बेल	1,25,000	–	–	1,25,000	1,25,000	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
81	सीआईएच, वीकानेर – बेल	6,17,500	–	–	6,17,500	6,17,500	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
82	सीआईएसएच, लखनऊ – जामुन	6,16,000	–	–	6,16,000	6,16,000	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
83	सीआईएच, वीकानेर – जामुन	1,28,000	–	–	1,28,000	1,28,000	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
84	सीआईएसएच, लखनऊ – आंवला किस्में	3,15,000	–	–	3,15,000	3,15,000	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
85	सीआईएच, वीकानेर, आंवला किस्में	1,15,000	–	–	1,15,000	1,15,000	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र

जारी है...

आनंद
देव

आरआर, हैदराबाद

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110012

2/29

आरआर

भवानीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110012

गंगा कुमार सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	14.2012 को शेष	आंतरिक हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वाह्य हस्तांतरण	2012–13 के दौरान जारी राशि	योग	2012–13 के दौरान व्यय	अंत शेष	केन्द्र का नाम जहाँ हस्तांतरित किया गया
86	पुष्ट अनुसूचन विदेशालय, आईआरआई, नई दिल्ली – गलियोलस	82,737	–	–	82,737	82,737	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र संदर्भ प्रयोगशाला
87	एनवीपीजीआर – सदर्भ प्रयोगशाला, जेव सम्यनविज्ञान परीक्षण	8,65,000	–	–	8,65,000	8,65,000	–	–	–	–	–
88	निदेशक, एनआरसी, केन्द्र, त्रिवी	–	-3,10,269	–	–	–	17,82,642	14,72,373	10,67,599	4,04,774	
89	आईआईपीआर, वाराणसी	–	-64,360	–	–	–	16,53,300	15,88,940	12,05,847	3,83,093	
90	सीआईएपी, लखनऊ	–	87,863	–	–	–	6,62,137	7,50,000	6,82,992	67,008	
91	एनआरसीएसएस, अजमेर	–	9,00,000	7,46,815	1,53,185	–	2,96,815	4,50,000	3,96,146	53,854	
92	सीएमएपीआर, आनंद	–	1,41,052	–	1,41,052	–	4,58,948	6,00,000	5,61,782	38,218	
93	निदेशक, आईआईचबआर, बंगलुरु – गुलाब	–	65,326	–	65,326	–	7,13,475	7,78,801	6,80,795	98,006	
94	एनआरसी – अंग्रे	–	10,77,784	–	10,77,784	–	5,00,000	15,77,784	9,01,279	6,76,505	
95	एसकेआरएट, फ़िकानेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
96	आईआरआई, शाकीय विज्ञान प्रभाग	1,17,006	–	1,17,006	–	1,00,000	2,11,006	2,02,092	14,914		
97	उपनकेवीटी, जवलपुर	-68,422	–	-68,422	–	4,50,000	3,81,578	2,88,117	93,461		
98	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	-2,71,108	–	-2,71,108	–	9,21,108	6,50,000	6,13,204	36,796		
99	एनवीआरआई, लखनऊ – वागनविलिया	-1,95,634	–	-1,95,634	-1,95,634	–	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
100	एनवीआरआई, लखनऊ – गलियोलस किन्मे	-30,800	–	–	-30,800	-30,800	–	–	–	–	नए डीयूएस केन्द्र
	योग	2,63,10,705	18,97,396	18,87,845	2,66,07,022	1,35,85,286	2,99,71,826	4,27,06,796	2,87,38,344	1,39,68,452	

२८२
पृष्ठ/२१
जय प्रकाश सिंह
वितीय सलाहकार
पो.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

282
आर.सी. अग्रवाल
महापंचाकार
पो.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं साहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हचिनाला
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं साहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2012 को शेष हस्तांतरण	आंतरिक 2011–12 के दोषान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष हस्तांतरण	वाह्य हस्तांतरण के दोषान जारी	योग के दोषान व्यय	2012-2013 के दोषान व्यय	अंत शेष केन्द्र का नाम जिसे हस्तांतरित किया गया
1	निदेशक, एनआरसी – सिद्धास, नागपुर	- 2,28,107	-	2,28,107	-	5,37,993	7,66,100	9,27,102 1,61,002
2	अंगारु, हेदराबाद	38,527	-	38,527	-	6,39,117	6,00,590	6,33,072 32,482
3	मवका अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	9,398	-	9,398	-	12,59,398	12,50,000	12,50,341 341
	जोग	47,925	2,28,107	-	2,76,032	-	24,36,508	26,16,690 28,10,515 1,93,825

गोपनीय प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

गोपनीय प्रकाश सिंह

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुबंध – ४

नए डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	वाह्य हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	2012–13 के दौरान जारी	2012–13 के दौरान जारी	योग	2012–13 के दौरान व्यय	शेष राशि
1	सीआईएच, बीकानेर – खजूर	6,98,717	–	6,98,717	5,50,000	12,48,717	4,44,652	8,04,065
2	सीआईएच, बीकानेर – बेर	11,86,495	–	11,86,495	5,50,000	17,36,495	10,52,902	6,83,593
3	सीआईटीएच, श्रीनगर – स्ट्रावेरी	3,30,737	–	3,30,737	–	3,30,737	–	3,30,737
4	नियंत्रक, डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय – कार्नेशन	5,45,000	2,44,250	3,00,750	5,25,000	8,25,750	–	8,25,750
5	नियंत्रक, डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय – पॉपलर जननद्रव्य	–	–	–	5,53,000	5,53,000	–	5,53,000
6	डॉ. बाला साहेब कॉकण कृषि विद्यापीठ, धपोली – जायफल	–	–	–	7,00,000	7,00,000	–	7,00,000
7	पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली – रातरानी	4,25,153	–	4,25,153	–	4,25,153	3,24,373	1,00,780
8	आईआईएचआर, बंगलुरु – पपीता और शरीफा	1,45,323	–	1,45,323	5,50,000	6,95,323	2,31,289	4,64,034
9	आईआईएचआर, बंगलुरु – कार्नेशन	3,85,882	–	3,85,882	4,50,000	8,35,882	7,45,815	90,067
10	आईआईएचआर, बंगलुरु – चाइना एस्टर	1,50,506	–	1,50,506	2,99,494	4,50,000	3,22,428	1,27,572
11	आईआईएचआर, बंगलुरु – चमेली	4,55,690	–	4,55,690	4,50,000	9,05,690	4,63,943	4,41,747
12	आईआईएचआर, बंगलुरु – स्ट्रावेरी	3,75,159	–	3,75,159	3,00,000	6,75,159	–	6,75,159
13	आईआईएचआर, बंगलुरु – रातरानी	5,25,150	–	5,25,150	3,00,000	8,25,150	4,94,980	3,30,170
14	आईआईएचआर, बंगलुरु – गेंदा	1,55,000	–	1,55,000	4,50,000	6,05,000	5,57,858	47,142
15	आईआईएचआर, बंगलुरु – मिर्च	10,12,892	–	10,12,892	7,50,000	17,62,892	17,62,892	–
16	आईआईएचआर, बंगलुरु – चौलाई	4,88,000	–	4,88,000	4,45,000	9,33,000	8,36,002	96,998
17	आईआईएचआर, बंगलुरु – क्रासेंड्रा	–	–	–	4,28,000	4,28,000	–	4,28,000
18	टीएनएग्यू, कोयम्बत्तूर – पपीता और शरीफा	1,50,000	–	1,50,000	3,50,000	5,00,000	2,91,375	2,08,625
19	एनआरसीपी, शोलापुर	3,03,000	2,28,865	74,135	4,75,865	5,50,000	1,82,979	3,67,021
20	एनबीआरआई, लखनऊ – केन्ना किस्में	11,900	–	11,900	6,73,100	6,85,000	6,78,991	6,009
21	काजरी, जोधपुर – अनार	2,70,000	47,415	2,22,585	4,50,000	6,72,585	–	6,72,585
22	आईएआरआई, नई दिल्ली – गेंदा	4,80,090	–	4,80,090	1,10,000	5,90,090	5,51,705	38,385
23	आईएआरआई, नई दिल्ली – मिर्च	1,20,421	–	1,20,421	3,29,579	4,50,000	1,15,044	3,34,956
24	आईएआरआई, नई दिल्ली – चौलाई	98,161	–	98,161	3,50,000	4,48,161	2,76,671	1,71,490

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

जारी है।
आर.आर. हंगिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	वाह्य हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	2012–13 के दौरान जारी	2012–13 के दौरान जारी	योग	2012–13 के दौरान व्यय	शेष राशि
25	आईएआरआई, नई दिल्ली – बोगेनविलिया	–	–	–	5,05,000	5,05,000	–	5,05,000
26	एनबीपीजीआर – दाना चौलाई	8,57,832	–	8,57,832	–	8,57,832	1,82,276	6,75,556
27	एनबीपीजीआर – क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला – दाना चौलाई	1,34,000	–	1,34,000	–	1,34,000	14,952	1,19,048
28	बीसीकेवी, कल्याणी – परवल	–	–	–	3,75,000	3,75,000	31,610	3,43,390
29	बीसीकेसी, कल्याणी – पान लता	1,55,500	–	1,55,500	2,25,000	3,80,500	1,55,314	2,25,186
30	बीसीकेवी, कल्याणी – जीमीकंद	2,40,500	–	2,40,500	2,09,500	4,50,000	2,83,000	1,67,000
31	सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम, जीमीकंद	1,11,254	–	1,11,254	2,75,000	3,86,254	1,75,430	2,10,824
32	सीआईएएच, बीकानेर – बेल	6,17,500	–	6,17,500	2,88,000	9,05,500	–	9,05,500
33	सीआईसीएच, लखनऊ – जामुन	6,16,000	–	6,16,000	3,00,000	9,16,000	5,85,571	3,30,429
34	सीआईएएच, बीकानेर – जामुन	1,28,000	–	1,28,000	–	1,28,000	–	1,28,000
35	सीआईएसएच, लखनऊ – आंवला किरमे	3,15,000	–	3,15,000	3,00,000	6,15,000	3,77,483	2,37,517
36	सीआईएएच, बीकानेर – आंवला किरमे	1,15,000	–	1,15,000	1,00,000	2,15,000	–	2,15,000
37	सीआईएएच, बीकानेर – चिराँजी और इमली	–	–	–	6,97,000	6,97,000	–	6,97,000
38	केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	–	–	5,00,000	5,00,000	–	5,00,000
39	पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली – ग्लोडियोलस	82,737	–	82,737	2,25,000	3,07,737	1,28,561	1,79,176
40	निदेशक, एचएफआरआई, शिमला	1,43,245	–	1,43,245	2,25,000	3,68,245	2,41,892	1,26,353
41	निदेशक, आईसीएआर का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर	3,52,800	2,78,939	73,861	–	73,861	–	73,861
42	निदेशक, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट	1,57,545	–	1,57,545	7,40,375	897,920	–	897,920
43	निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान	17,68,708	–	17,68,708	17,18,271	3,486,979	1,023,136	2,463,843
44	सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम	1,17,642	–	1,17,642	3,00,000	4,17,642	–	4,17,642
45	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर	–	–	–	7,32,000	7,32,000	–	7,32,000
46	आईएफजीटीवी, कोयम्बत्तूर	1,57,137	–	1,57,137	94,895	2,52,032	–	2,52,032
47	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – कृषक जागरूकता	9,184	–	9,184	–	9,184	–	9,184
48	एसडी कृषि विश्वविद्यालय	8,98,309	2,79,830	6,18,479	–	6,18,479	–	6,18,479

जारी है।

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	वाह्य हस्तांतरण	2011-12 के दौरान व्यय	2012-13 के दौरान जारी	2012-13 के दौरान जारी	योग	2012-13 के दौरान व्यय	शेष राशि
49	आईआईएसआर, काजीकोड	2,40,771	-	2,40,771	-	2,40,771	-	2,40,771
50	एफसीआरआई, कोयम्बत्तूर – टीएनएयू	-2,82,367	-929	-2,81,438	6,40,697	3,59,259	-	3,59,259
51	टीएनएयू, हैदराबाद	-	-	-	4,15,000	4,15,000	-	4,15,000
52	नियंत्रक, यूएसजीकैवीके, बंगलुरु	-	-	-	8,82,000	8,82,000	5,76,741	3,05,259
53	नियंत्रक, अंगारु, हैदराबाद	-	-	-	3,32,000	3,32,000	-	3,32,000
54	जेएनकेवी, जबलपुर	-	-	-	10,32,000	10,32,000	-	10,32,000
55	आनुवंशिकी संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	35,026	-	35,026	-	35,026	-	35,026
56	निदेशक, आईजीएफआरआई, झांसी	-	-	-	16,30,000	16,30,000	2,15,666	14,14,334
57	जीबीपीयू और टी, झांसी	-	-	-	4,82,000	4,82,000	54,289	4,27,711
58	पीएयू लुधियाना	-	-	-	3,71,000	3,71,000	2,58,726	1,12,274
59	निदेशक, सीआईएएच, बीकानेर – शाकीय फसलें	-	-	-	-	-	-	-
60	सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम – शकरकंद और कसावा	-	-	-	5,00,000	5,00,000	4,92,663	7,337
61	वांघई, नागापटिटनम	-	-	-	1,23,298	1,23,298	-	1,23,298
62	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर – नोनी	-	-	-	1,62,000	1,62,000	-	1,62,000
63	आईएफजीटीबी, कोयम्बत्तूर – टैकटाना ग्रेडिस	-	-	-	8,13,000	8,13,000	-	8,13,000
	योग	1,52,84,599	10,78,370	1,42,06,229	2,52,32,074	3,94,38,303	1,41,31,209	2,53,07,094

जाम्य प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

नये डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	आंतरिक हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	2012–13 के दौरान जारी राशि	योग	2012–13 के दौरान व्यय	शेष राशि
1	आईआईएचआर, बंगलुरु – पान लता	4,80,500	–	4,80,500	3,50,000	8,30,500	8,43,456	12,956
2	टीएनएयू कोयम्बत्तूर – चमेली	5,42,000	–	5,42,000	–	5,42,000	7,29,240	1,87,240
3	एनबीपीजीआर – क्षेत्रीय केन्द्र, फागुनी – दाना चौलाई, शिमला	1,12,621	–	1,12,621	–	1,12,621	1,18,440	5,819
4	सीआईएसएच, लखनऊ – बेल	1,25,000	1,42,646	-17,646	–	-17,646	–	17,646
5	एनबीआरआई, लखनऊ – बोगेनविलिया	-1,95,634	–	-1,95,634	7,70,634	5,75,000	7,99,551	2,24,551
6	एनबीआरआई, लखनऊ – ग्लेडियोलस किरमे	-30,800	–	-30,800	6,85,000	6,54,200	6,79,963	25,763
7	टोककलै प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	2,69,153	–	2,69,153	8,57,847	11,27,000	17,99,120	6,72,120
8	सीआईटीएच, श्रीनगर	-3,15,543	–	-3,15,543	12,95,543	9,80,000	14,33,462	4,53,462
9	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना	-16,457	–	-16,457	–	-16,457	–	16,457
10	जीन कैम्पेन, नई दिल्ली	–	–	–	4,40,000	4,40,000	5,54,083	1,14,083
	योग	9,70,840	1,42,646	8,28,194	43,99,024	52,27,218	69,57,315	17,30,097

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

अनुबंध – ४

संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्त राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	आंतरिक हस्तांतरण	2011–12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	2012–13 के दौरान जारी राशि	योग	2012–13 के दौरान व्यय	शेष राशि
1	एनवीपीजीआर – संदर्भ प्रयोगशाला, जैवरसायनविज्ञानी परीक्षण	8,65,000	–	8,65,000		8,65,000	2,26,766	6,38,234
2	सीआरआरआई, कटक – नई परियोजना	5,45,500	1,75,000	3,70,500	5,00,000	8,70,500	4,97,254	3,73,246
3	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	8,00,000		8,00,000		8,00,000	5,90,281	2,09,719
4	आईसीएआर इकाई, सीआईसीआर, नागपुर	–	–	–	1,800,000	18,00,000	–	18,00,000
5	परियोजना निदेशक, डीओआर, हैदराबाद	–	–	–	24,00,000	24,00,000	1,99,604	22,00,396
6	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु – बागवानी फसलें	–	–	–	6,70,000	6,70,000	–	6,70,000
7	परियोजना निदेशक, डीएमआर, नई दिल्ली	–	–	–	10,00,000	10,00,000	–	10,00,000
	योग	22,10,500	1,75,000	20,35,500	63,70,000	84,05,500	15,13,905	68,91,595

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	आंतरिक हस्तांतरण	2011-12 के दौरान व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	2012-13 के दौरान जारी राशि	योग	2012-13 के दौरान व्यय	शेष राशि
1	बीएयू रांची	15,50,000	11,32,167	4,17,833	10,00,000	14,17,833	11,63,120	2,54,713
2	डॉ. बालासाहेब कोकण कृषि विद्यापीठ, धपोली	2,81,655	—	2,81,655	14,68,345	17,50,000	17,23,468	26,532
3	काजरी, जोधपुर — फील्ड जीन बैंक	46,25,000	—	46,25,000	—	46,25,000	10,63,403	35,61,597
4	नियंत्रक, डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	-3,82,152	—	-3,82,152	19,34,252	15,52,100	14,98,749	53,351
5	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	1,60,354	—	1,60,354	9,39,646	11,00,000	7,80,511	3,19,489
	योग	62,34,857	11,32,167	51,02,690	53,42,243	1,04,44,933	62,29,251	42,15,682

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुबंध – झ

प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि	2011-12 में व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	वापसी	2012-13 में व्यय	31.03.2013 को शेष
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय	1,60,000	158,751	1,249	80,000	–	80,000	1,249
2	बीएयू रांची	60,000	–	60,000	–	–	–	60,000
3	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	18,325	–	18,325	1,30,000	-	1,30,000	18,325
4	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	1,20,000	86,308	33,692	–	33,692	–	–
5	सीआईसीआर, कोयम्बटूर	–	–	–	80,000	–	–	80,000
6	सीआईसीआर, नागपुर	2,40,000	–	2,40,000	1,60,000	–	–	4,00,000
7	सीआईएमएपी, लखनऊ	1,20,000	–	1,20,000	80,000	–	1,20,000	80,000
8	नियंत्रक, केरल त्रिशूर	27,406	–	27,406	80,000	–	–	107,406
9	नियंत्रक, जीबीपीयू और टी	1,50,872	135,012	15,860	80,000	15,860	–	80,000
10	नियंत्रक, एमएयू	60,000	–	60,000	–	–	–	60,000
11	नियंत्रक, एनडी कृषि विश्वविद्यालय	18,480	–	18,480	–	–	–	18,480
12	नियंत्रक, टीएनएयू कोयम्बत्तूर	–	–	–	3,20,000	–	–	3,20,000
13	नियंत्रक, टीएनएयू हैदराबाद	–	–	–	80,000	–	78,394	1,606
14	नियंत्रक, एएयू जोरहट	2,40,000	–	2,40,000	2,80,000	–	2,00,000	3,20,000
15	नियंत्रक, सीसीएसएचएयू हिसार	–	–	–	1,60,000	–	–	1,60,000
16	नियंत्रक, सीएसएयू और टी, कानपुर	41,128	41,128	–	80,000	–	80,000	–
17	नियंत्रक, सीएसकेएचपीकेवी	1,60,000	–	1,60,000	2,40,000	–	–	4,00,000
18	नियंत्रक, आईजीकेवी, रायपुर	40,551	–	40,551	–	–	–	40,551
19	नियंत्रक, शेरे कश्मीर एएसटी, विश्वविद्यालय	1,80,000	–	1,80,000	–	–	–	1,80,000

जारी है।

जारी पुकारा दिन

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2013

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि	2011–12 में व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	वापसी	2012–13 में व्यय	31.03.2013 को शेष
20	नियंत्रक, शेरे कश्मीर एएसटी विश्वविद्यालय	80,000	—	80,000	—	—	53,515	26,485
21	नियंत्रक, एसकेआरएयू, बीकानेर	1,10,160	—	1,10,160	—	—	—	1,10,160
22	सीपीसीआरआई, केरल	1,60,000	1,60,000	—	80,000	—	80,000	—
23	सीआरआई जेएफ, बैरकपुर	1,60,000	1,25,826	34,174	80,000	34,174	—	80,000
24	सीआरआरआई, कटक	10,000	—	10,000	80,000	—	80,000	10,000
25	अनुसंधान डीन, ओयूएटी	96,835	—	96,835	23,165	—	55,000	65,000
26	निदेशक, बीपीकेएएस, अल्मोड़ा	1,20,000	53,566	66,434	1,60,000	66,434	—	1,60,000
27	निदेशक, आईसीएआर, अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	21,322	—	21,322	—	—	—	21,322
28	निदेशक, एमएसएचआरएफ, चैन्नई	2,00,000	2,00,000	—	2,40,000	—	239,999	1
29	निदेशक, डीआरएमआ, भरतपुर	42,326	—	42,326	80,000	42,326	59,050	20,950
30	निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली	1,04,003	—	1,04,003	80,000	—	70,625	1,13,378
31	निदेशक, आईएआरआई, — केवीके गुडगांव	80,000	80,000	—	80,000	—	79,626	374
32	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय	94,775	34,395	60,380	80,000	—	1,34,395	5,985
33	चिकित्सीय एवं संगांधीय पौधा निदेशालय	47,912	—	47,912	80,000	47,912	40,888	39,112
34	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय	1,20,000	—	1,20,000	80,000	—	1,07,163	92,837
35	डीडब्ल्यूआर निदेशालय	36,478	—	36,478	1,60,000	36,478	1,59,134	866
36	आईसीएआर की नार्म इकाई	70,000	70,000	—	—	—	—	—
37	आईआईएचआर, बंगलुरु — अलंकारिक फसलें प्रभाग	80,000	51,014	28,986	1,60,000	28,986	—	1,60,000
38	आईआईएचआर बंगलुरु — शाकीय फसलें प्रभाग	80,000	—	80,000	2,40,000	3,880	49,491	2,66,629
39	आईआईपीआर कानपुर	1,80,000	73,734	106,266	—	—	—	1,06,266

जारी है।

अंशु प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि	2011–12 में व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	वापसी	2012–13 में व्यय	31.03.2013 को शेष
40	निदेशक, आईआईपीआर, कानपुर – चना	–	–	–	80,000	–	–	80,000
41	निदेशक, आईआईपीआर, कानपुर – मुलाप	–	–	–	80,000	–	–	80,000
42	जेएयू जूनागढ़	37,219	–	37,219	80,000	37,219	46,071	33,929
43	एमपीकेवी, राहुड़ी	436	–	436	80,000	–	78,163	2,273
44	एनआरसी – सोयाबीन	1,20,000	–	1,20,000	80,000	–	20,539	1,79,461
45	एनआरसी – ऑर्किड, सिविकम	28,894	28,894	–	1,60,000	–	68,070	91,930
46	एनआरसी – बीज मसाले, अजमेर	1,60,000	1,60,000	–	–	–	–	–
47	पीएयू लुधियाना	1,60,000	–	1,60,000	–	–	–	1,60,000
48	पीडीकेवी, अकोला	1,20,000	–	1,20,000	–	–	–	1,20,000
49	परियोजना निदेशक, डीआरआर, हैदराबाद	1,60,000	–	1,60,000	2,60,000	–	1,00,000	3,20,000
50	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	60,000	–	60,000	–	–	–	60,000
51	एसबीआई, कोयम्बत्तूर	38,394	–	38,394	80,000	38,394	51,164	28,836
52	वालेंट्री एक्शन फार रिसर्च	1,80,000	1,80,000	–	–	–	–	–
53	वाई एस पीयूएच और एफ	60,000	60,000	–	80,000	–	–	80,000
54	आईआईएसआर, कालीकट	27,049	–	27,049	80,000	27,271	60,000	19,778
55	तिलहन अनुसंधान निदेशालय	1,60,000	69,366	90,634	80,000	–	71,497	99,137
56	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	80,000	79,940	60	1,60,000	–	–	1,60,060
57	आईआईवीआर, वाराणसी	1,20,000	1,08,428	11,572	1,60,000	–	69,056	1,02,516
58	कृषि एवं खाद्य उत्पाद निदेशक	60,000	–	60,000	–	–	–	60,000
59	आरएयू पूसा	60,000	60,000	–	–	–	–	–
60	आदर्श रुरल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग	–	–	–	80,000	–	80,000	–
61	कृषि निदेशक, ओडिशा	–	–	–	80,000	–	80,000	–
62	नियंत्रक, यूएस, रायचुर	–	–	–	80,000	–	–	80,000
63	नियंत्रक, शूलीनि विश्वविद्यालय, सोलन	–	–	–	80,000	–	80,000	–

जामे प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

जारी है।
आर.आर. हंगिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि	2011–12 में व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	वापसी	2012–13 में व्यय	31.03.2013 को शेष
64	कृषि एवं ग्रामीण केन्द्र	—	—	—	2,40,000	—	2,40,000	—
65	नियंत्रक, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	—	—	—	1,60,000	—	1,60,000	—
66	निदेशक, रिसर्च शियाट्स, इलाहाबाद	—	—	—	1,60,000	—	1,60,000	—
67	आईसीएआर इकाई डीएसआर हैदराबाद	—	—	—	2,40,000	—	80,000	1,60,000
68	परियोजना निदेशक, डीएमआर, नई दिल्ली	—	—	—	2,40,000	—	—	2,40,000
69	आईआईएसआर, लखनऊ	—	—	—	1,30,000	—	1,30,000	—
70	नंद एजूकेशनल फाउंडेशन फार रुरल	—	—	—	80,000	—	80,000	—
71	यूएएस, धारवाड	—	—	—	—	—	—	—
72	निदेशालय, सीपीआरआई, शिमला, मोदीपुरम	—	—	—	80,000	—	—	80,000
73	निदेशक, सीटीसीआरआई, क्रिवेन्ड्रम	—	—	—	1,60,000	—	48,936	1,11,064
74	निदेशक, काजरी, जोधपुर	—	—	—	1,60,000	—	44,271	1,15,729
75	निदेशक, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	—	—	—	80,000	—	80,000	—
76	निदेशक, एनबीआरआई, लखनऊ	—	—	—	80,000	—	80,000	—
77	निदेशक, सीआईएएच, बीकानेर	—	—	—	80,000	—	68,340	11,660
78	नियंत्रक, एसएफआरआई, अस्लानाल प्रदेश	—	—	—	80,000	—	—	80,000
79	निदेशक, सीआईएसएच, लखनऊ	—	—	—	80,000	—	—	80,000
80	निदेशक, एसकेयूएसटी, रजौरी	—	—	—	80,000	—	—	80,000
81	अध्यक्ष, सीएचईएस, वेजालपुर, गोदारा	—	—	—	80,000	—	—	80,000
82	निदेशक, सीआईटीएच, श्रीनगर	—	—	—	80,000	—	34,993	45,007

जारी है।

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि	2011–12 में व्यय	01.04.2012 को संशोधित शेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	वापसी	2012–13 में व्यय	31.03.2013 को शेष
83	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	—	—	—	1,60,000	—	1,24,856	35,144
84	एनआरसी – सिट्रस	—	—	—	80,000	—	63,463	16,537
85	संयोजन सचिव, आईसीपी 2010	—	—	—	80,000	—	80,000	—
86	नियंत्रक, बीएसकेवी, ए पोली	—	—	—	80,000	—	80,000	—
87	बीसीकैवी, पश्चिम बंगाल	—	—	—	80,000	—	—	80,000
योग		51,62,565	20,16,362	31,46,203	81,03,165	4,12,626	42,56,699	65,80,043

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

बाहरी संस्थाओं को पेशगियां

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि शेष	पिछले वर्ष का व्यय	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान समायोजित व्यय	31.3.2013 को आदि शेष
1	निस्केयर	12,775	12,775	800	800	–
2	सचिव, नास	500	500	–	–	–
3	अधिकारी, एनआईसी, नई दिल्ली	23,333	23,333	–	–	–
4	श्री पार्थसारथी	28,000	–	–	–	28,000
5	सैंटर फार इनोवेशन	25,000	–	–	–	25,000
6	एसआरएमआईएसटी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस	4,000	4,000	2,73,035	2,73,035	–
7	प्रशिक्षण व जागरूकता कांग्रेस, लखनऊ	4,000	4,000	–	–	–
8	इनसाइक्लो 9 कारपो.	5,933	5,933	7,266	7,266	–
9	बैनेट कालमन एंड कंपनी	12,240	4,080	–	8,160	–
10	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	2,000	2,000	1,00,000	1,00,000	–
11	सूचना एवं कृषि प्रकाशन	1,625	1,625	–	–	–
12	पिटनी बावर्स प्राइवेट लिमिटेड	6,618	6,618	12,421	12,421	–
13	निदेशक, एनआरसी, ज्वार	36,000		–	–	36,000
14	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	30,000	30,000	–	–	–
15	करंट साइंस एसोसिएशन	1,050	1,050	–	–	–
16	द पेटेंट एंड ट्रेड मार्क	4,200	4,200	–	–	–
17	ईस्टर्न बुक कंपनी	7,698	7,698	8,318	8,318	–
18	एर्नेट इंडिया, नई दिल्ली	4,70,000	–	51,147	5,21,147	–
19	स्वामी पल्लिशर्स प्रा.लिमिटेड	500	500	520	–	520
20	नाइन डॉट नॉन मीडियावर्क्स	1,000	–	–	1,000	–
21	सोसायटी फॉर कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन फार सर्टेनेबल डेवलपमेंट	1,80,000	1,80,000	80,000	80,000	–
22	संयोजक सचिव, नेशनल शुगर फैस्ट, लखनऊ	80,000	80,000	–	–	–

जारी है

आर्य प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४९
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2012 को आदि शेष	पिछले वर्ष का व्यय	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान समायोजित व्यय	31.3.2013 को आदि शेष
23	इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन	—	—	2,00,000	2,00,000	—
24	मैसर्स विवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड	—	—	2,691	2,691	—
25	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	1,18,200	—	77,800	1,96,000	—
26	एनएसएफ ग्लोबल एग्री कनेक्ट	90,000	90,000	1,50,000	1,50,000	—
27	यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशंस, कंपनी	—	—	55,800	55,800	—
28	मैसस इनकिडीबल डिज़ाइन	—	—	52,090	52,090	—
29	एमएसएसआरएफ चैनर्ड	—	—	1,00,000	1,00,000	—
30	अमेठी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश	—	—	1,00,000	1,00,000	—
31	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी	—	—	1,00,000	1,00,000	—
32	मैसस गोदरेज एंड बाई मैनुफैक्चर्स कं. लिमिटेड	—	—	40,229	40,229	—
33	भा.कृ.अ.प. सोसायटी, नई दिल्ली	—	—	60,000	60,000	—
34	हरियाणा किसान आयोग, हिसार	—	—	80,000	80,000	—
35	भारतीय प्रबंधन संस्थान	—	—	2,00,000	2,00,000	—
36	एनआरसीएसएस, अजमेर	—	—	75,000	75,000	—
37	एनए सर्विसेस	—	—	1,30,169	1,30,169	—
38	राष्ट्रीय कृषि अकादमी	—	—	3,15,000	3,15,000	—
39	संयोजक संगठन समिति, कोकोटेक	—	—	65,562	65,562	—
40	फ्यूचर जेनेरिला इंडिया इंस्पूरेस कंपनी	—	—	5,938	5,938	—
41	हिन्दी बुक सेंटर	—	—	7,825	7,825	—
42	न्यू काउसजल फर्निचर	—	—	6,200	6,200	—
43	पी.नारायण उन्नी	—	—	1,530	1,530	—
44	भारतीय पादप आनुवंशिक संसाधन जरनल	2,000	2,000	—	—	—
45	एनएसएआई इंडियन सीड कांग्रेस 2013	—	—	35,000	35,000	—
46	दीन दयाल उपाध्याय	—	—	20,000	20,000	—
47	आईआईवीआर, वाराणसी	—	—	3,24,000	2,69,354	54,646
48	सरस्वती एकांउटेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	—	—	14,315	14,315	—
49	निदेशक, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	—	—	600	600	—
	योग	11,46,672	4,60,312	27,53,256	32,95,450	1,44,166

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

स्टाफ को पेशगी

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पेशगी राशि
1	पी.एल.गौतम	1,63,000
2.	मनोज श्रीवास्तव	13,00,950
3.	जे.पी.सिंह	21,900
4.	दिपल रॉय चौधरी	1,37,300
5	डी.एस.मिश्रा	1,13,000
6	डी. एस. राज गणेश	70,000
7	रबी रमन प्रधान / डीडीओ	9,67,679
8	डी.एस.पिलानिया	9,000
9	तेजबीर सिंह	4,30,000
10	रवि प्रकाश	6,45,000
11	अजय कुमार सिंह	26,000
12	ए. सी. शर्मा	95,000
13	मनोज कुमार	1,15,000
14	आर.सी.अग्रवाल	50,000
	योग	41,43,829

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुबंध – ८

31.3.2013 को डीयूएस परीक्षण शुल्कों के विरुद्ध पेशगी

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पेशगी राशि
1	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (मक्का)	2,67,000
2.	एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर (बाजरा)	2,04,000
3.	नियंत्रक, अंगारु, हैदराबाद (उड्ड)	3,000
4.	नियंत्रक, अंगारु, हैदराबाद (मूंग)	3,000
5	नियंत्रक, सीसीएसएचएयू (कपास)	1,89,875
6	नियंत्रक, सीएसयूए और टी, कानपुर	33,000
7	नियंत्रक, जेएयू जामनगर (अरण्ड)	9,000
8	नियंत्रक, पीएयू लुधियाना (कपास)	1,89,875
9	नियंत्रक, पीडीकेवी, अकोला (अरहर)	36,000
10	नियंत्रक, टीएनएयू कोयम्बत्तूर (चावल)	21,000
11	नियंत्रक, टीएनएयू कोयम्बत्तूर (सूरजमुखी)	93,000
12	नियंत्रक, टीएनएयू, कोईम (मूँगफली)	12,000
13	नियंत्रक, यूएएस, धारवाड (कपास)	3,29,000
14	नियंत्रक, यूएएस, धारवाड (136 / 10)	3,000
15	सीआरआई, जेएएफ, बैरकपुर (बुदबुद) (पटसन)	10,500
16	सीआरआरआई, कटक (चावल)	96,000
17	निदेशक, सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर (पटसन)	14,000
18	निदेशक, डीएसआर, इंदौर (सोयाबीन)	4,000
19	निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली (फूलगोभी)	1,08,000
20	निदेशक, आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र (करनाल)	18,000
21	निदेशक, आईआईवीआर, वाराणसी (फूलगोभी)	1,52,000
22	निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली (क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई) (फूलगोभी)	6,000
23	निदेशक, आईएआरआई (क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर)	6,000
24	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु (भिण्डी)	66,000
25	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु (बैंगन)	150,000
26	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु (टमाटर)	3,66,000
27	निदेशक, आईआईपीआर, कानपुर (मुलार्प) (मूंग)	4,000
28	निदेशक, आईआईपीआर, मुलार्प (उड्ड)	4,000

जारी है...

जामे प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पेशगी राशि
29	निदेशक, आईआईवीआर, वाराणसी (टमाटर)	4,88,000
30	निदेशक, एनआरसी, जूनागढ़ (मूंगफली)	16,000
31	डीओआर, हैदराबाद (अरण्ड)	12,000
32	जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (ज्वार)	9,000
33	आईसीएआर इकाई, सीआईसीआर, नागपुर (कपास)	1,92,500
34	आईसीएआर इकाई, डीआरएमआर, भरतरपुर	40,000
35	आई.सी.ए.आर. इकाई डीएसआर, हैदराबाद (ज्वार)	1,68,000
36	आईआईवीआर, वाराणसी (बैंगन)	2,00,000
37	आईआईवीआर, वाराणसी (भिण्डी)	88,000
38	एमपीकेवी, राहुड़ी (बाजरा)	1,53,000
39	एमपीकेवी, राहुड़ी (ज्वार)	93,000
40	पीसी, सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर (कपास)	4,34,000
41	पीडी, डीएमआर, पूसा नई दिल्ली (मक्का)	3,56,000
42	पीडी, डीआरआर, हैदराबाद (चावल)	1,80,000
43	परियोजना निदेशक, डीओआर, हैदराबाद (सूरजमुखी)	1,24,000
44	परियोजना निदेशक, डीडब्ल्यूआर, करनाल	12,000
45	एमपीकेवी, राहुड़ी (बाजरा)	24,000
46	निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली (बंदगोभी)	72,000
47	आईआईएसआर, लखनऊ	14,000
48	आईआईवीआर, वाराणसी	96,000
49	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर	10,500
	योग	51,79,250

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली—110012

अनुबंध – छ

विद्यमान डीयूएस केन्द्र/नए डीयूएस केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र से वसूली

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	प्राप्त वापसी
1	निदेशक, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संरथान, अल्मोड़ा	66,434
2	औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय	47,912
3	डीडब्ल्यूआर करनाल	36,478
4	आईआईएचआर बंगलुरु (अलंकारिक फसल संभाग)	28,986
5	जेरियू, जूनागढ़	37,219
6	एसवीआई, कोयम्बटूर	38,394
7	आईआईएसआर कालीकट	27,271
8	नियंत्रक, जीवीपीयू एड टी	15,860
9	सीपीआरआई शिमला	33,692
10	निदेशक, सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	34,174
11	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय	42,326
12	आईआईएचआर बंगलुरु (शाकीय फसलें संभाग)	3,880
	योग	4,12,626

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुबंध ढ

अदा की गई वैधानिक देयताएं

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	राशि, रुपयों में
1	सीजीईजीआईएस	29,445
2	सीजीएचएस	3,900
3	जीपीएफ – 108 / 02	8,08,650
4	एचबीए	92,646
5	लाइसेंस फीस	23,541
6	टीडीएस – विज्ञापन	57,576
7	टीडीएस – संविदाकार	356,322
8	टीडीएस – व्यावसायिक	9,04,102
9	टीडीएस – वेतन	13,54,814
10	एनपीएस	5,87,384
11	अन्य – 108 / 12	1,16,376
12	सीपीएफ अंशदान	72,000
13	व्यावसायिक कर	2,496
	योग	44,09,252

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

स्टाफ को दी गई पेशगियों की वसूली

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	प्राप्त वापसी
1	रवी रमन प्रधान/डीडीओ	1,88,851
2.	मनोज श्रीवास्तव	4,51,043
3.	तेजबीर सिंह	2,18,399
4.	ए. सी. शर्मा	6,952
5	मनोज कुमार	—
6	रवि प्रकाश	2,14,864
7	डी. एस. मिश्रा	30,414
8	पी. एल. गौतम	1,670
9	डी.एस.पिलानिया	1,000
10	अजय कुमार सिंह	13,358
11	डी.एस.राज गणेश	8,479
12	दीपल रॉय चौधरी	14,473
13	आर.सी.अग्रवाल	50,000
14	जे.पी.सिंह	—
	योग	11,99,503

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/८७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आपूर्तिकर्ताओं को दी गई पेशगी

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	वर्ष 2012-13 के दौरान जारी
1	एचसीएल इन्फो सिस्टम लिमिटेड	4,43,136
2	सहारा नेट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2,73,517
	योग	7,16,653

जायं प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुसूची 24

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखाकरण प्रणाली

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के संदर्भ में लागू होते हैं तथा लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की निर्धारित विधियों को अपनाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्रभार में लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों की लागत कुल मूल्यद्वास को घटा कर लगाई जाती है। लागत में खरीद मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को लाने में लगी हो या उसे कार्यशील बनाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे उस अवधि से संबंधित हो जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूँजीकरण पूँजी आरक्षण में नामे किए गए मूल्य पर किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नामात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

3. मूल्यद्वास

- क) मूल्यद्वास आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए गए मूल्य पर लिखा जाता है।
- ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यद्वासित मान लिया जाता है।

4. पट्टेदारी

पट्टेदारी किराए पट्टेदारी की शर्तों के अनुसार अदा किए जाते हैं।

5. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि को लेखा अवधि से पहले पहचाना जाता है और इसे अनुमानित या वसूली योग्य राशि के प्रभार के रूप में दर्ज किया जाता है।

6. फुटकर व्यय

आगे लाया गया राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

7. सरकारी अनुदान/योगदान

- (क) एकमुश्त अनुदान सहायता पूँजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार

जामे प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2013
आर.सी. अग्रवाल
महापूँजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

से प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सृजित हासशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूँजीगत निधि' में नामे किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर भी मूल्यहास कॉर्पस/पूँजीगत निधि के विरुद्ध लिया जाता है जो उस परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के समाप्त होने के बाद होते हैं तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखे में आय के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व व्यय स अधिक अनुदान की शेष राशि को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूँजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दिए जाते हैं तथा निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पेशगी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्य से प्राप्त होने चाहिए। वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्रों/अन्य लेखों के अंतर्गत अनुदान सहायता में नामे किया जाता है जो अग्रिम लेखे के रूप में होता है तथा पेशगी की शेष बची राशि वर्ष के अंतिम दिन अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में बनी रहती है।

- (ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को संबंधित चालू वर्ष में लेखाकृत किया जाता है तथा इसे पूर्वावधि व्ययों के शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।
- (ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि पेशगी राशि से अधिक है, प्राप्त उपयोग प्रमाण—पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की गई है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन, लेन–देन की तिथि को मौजूद विनिमय दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

- क) नई पेशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।
- ख) ग्रेचुटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता वास्तविक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

10. कर–निर्धारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रावधान, आकस्तिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

किसी नाप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से संबंधित प्रावधानों को तब लागू किया जाता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसा करना आवश्यक हो और यह संभावना व्यक्त की गई हो कि संसाधन फालतू हो सकते हैं। आकस्तिक देयताओं को पहचाना नहीं जाता है बल्कि लेखे के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्ज किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

12. आय और व्यय

इस पैराग्राफ के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को वास्तविक आधार पर लेखे के विशिष्ट और प्रत्यक्ष शीर्षकों में दर्ज किया जाता है।

- क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।'
- ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर दर्ज किया जाता है।
- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर दर्ज किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र और अथवा आय व व्यय के लेखे में लेखा व्यवहार का पता लगाने और मद के खुलासे की विधि को बताने में भौतिकता की संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13. राजस्व पहचान

- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- ख) प्राधिकरण विभिन्न आवेदकों से डीयूएस परीक्षण शुल्क प्राप्त करता है और इसका अधिकांश भाग डीयूएस केन्द्रों को परीक्षण व्ययों में भागीदारी के लिए खर्च करने हेतु दे दिया जाता है। डीयूएस परीक्षण शुल्क प्राप्त होने पर उसे देयता के रूप में लेखे में दर्ज किया जाता है। प्राधिकरण की वर्तमान नीति के अनुसार डीयूएस शुल्क का 70 प्रतिशत डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को जारी कर दिया जाता है, जिसे संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को पेशागी के रूप में लेखाकृत किया जाता है। संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से परीक्षण की वास्तविक तिथि प्राप्त होने पर पहले दी गई पेशागी को डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए दायिता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और शेष 30 प्रतिशत डीयूएस परीक्षण शुल्क प्राधिकरण की आय के रूप में उस वर्ष में लेखाकृत किया जाता है जिस वर्ष परीक्षण किया गया है।
- ग) पेशागी प्राप्त किया गया पीवीजे का चंदा अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व अदा किए गए लेखे के रूप में दर्ज किया जाता है।
- घ) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को देयता के रूप में माना जाता है और इसकी गणना तब की जाती है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- ड.) व्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

14. पृथक खुलासा

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक से खुलासे किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि में' वाली वे मदें जो ऐसे आय अथवा व्यय का हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।

जामे प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

- ख) ऐसी 'विशिष्ट' मदें जो ऐसे आय अथवा व्यय की भौतिक मदें होती हैं जो उन घटनाओं अथवा लेन-देनों से सृजित होती हैं जो सम्पूर्णता की दृष्टि से सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं, अतः जिन्हें जल्दी-जल्दी अथवा नियमित अंतराल पर प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती है।
- ग) 'फुटकर आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'फुटकर व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में 'व्यय' के अंतर्गत उचित लेखा शीर्ष में दर्शाया जाता है।

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुसूची 25

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जो आवेदकों ने राजपत्र अधिसूचना के पूर्व दायर किया था और जिसकी राशि 29.15 लाख रुपये के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का आदेश दिया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धता

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पोर्टल का डिज़ाइन तैयार करने और विकास के लिए सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन को 26.04.2012 को 10,81,909 को आपूर्ति आदेश दिया गया था। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् 3,03,908 रुपये की कुल राशि अदा की गई शेष 75 प्रतिशत राशि अर्थात् 7,78,001 रुपये दिनांक 31.03.2013 को अदा किए जाने हैं। इसी प्रकार, समेकित विषय वस्तु प्रबंध प्रणाली (आईसीएमएस) विकसित करने के लिए मैसर्स एचसीएल, इन्फोसिस्टम को 31.01.2012 को 6,95,662 रुपये का आपूर्ति आदेश दिया गया था, लेकिन वर्ष 2012-13 के दौरान 65 प्रतिशत की दर से केवल 4,52,180 रुपये अदा किए गए। शेष 35 प्रतिशत राशि अर्थात् 2,43,482 रुपये कार्य पूरा होने तथा आईसीएमएस के लागू होने के बाद अदा किए जाने हैं। इस प्रकार, पूँजी लेखे पर अभी तक न उपलब्ध कराई गई प्रतिबद्धता 31.03.2013 को 10,21,483 रुपये है।

3. पट्टे संबंधी देनदारियां

- (क) एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण की कार्यालय इमारत पट्टेदारी पर थी। वर्ष के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानदंडों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मासिक किराया अदा करेगा। प्राधिकरण ने 2.1.2006 से 31.8.2011 तक की अवधि के लिए 19,20,250 रुपये और 1.9.2011 से प्रति माह 22,459 रुपये की दर से किराए के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मांग के अनुसार अदा किए हैं।
- (ख) गुवाहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एयू) के साथ 30.12.2011 को पट्टा समझौता लागू किया गया है जिसमें गुवाहाटी कार्यालय की इमारत के लिए 60,000/-रु. प्रतिवर्ष किराया देना होगा, जबकि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) रांची के साथ 1.9.2011 को 50,000 रु. प्रतिवर्ष की दर पर पट्टा समझौता लागू किया गया है।

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

प्राधिकरण को 74.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पादप प्राधिकरण भवन का निर्माण करना था जिसमें 10480 वर्ग मीटर पर पांच मंजिली इमारत बनाई जानी थी। उपरोक्त भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निकट हरभजन इन्कलेव, नई दिल्ली में हस्तांतरित की। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् प्राधिकरण ने इमारत का निर्माण आरंभ किया तथा वांछित अनापतियां प्राप्त कीं। इस दौरान योजना आयोग ने यह मामला कृषि एवं सहकारिता विभाग के समक्ष उठाया ताकि प्रस्तावित पौधा किस्म भवन में एनआरए और कृषि एवं सहकारिता विभाग को समायोजित करने की संभावना तलाशी जा सके। अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण की संभावना तलाशने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, एनआरए, पीपीवी और एफआरए तथा यूपीआरएनएनएल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक 24 अगस्त 2012 को आयोजित हुई। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि 3 अतिरिक्त मंजिलों तथा एक भूमिगत तल का निर्माण किया जाएगा जिनमें से दो तल एनआरएए

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2013
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. छंदोला
आर.आर. हचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

के लिए और एक कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए होगा। ईमारत, ड्राइंगों, आवश्यक अनापत्तियों आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में अब तक जो व्यय हुआ है, उसमें एनआरएए तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग की भी साझेदारी होगी। ड्राइंग, ईमारत के लिए संशोधित अनापत्ति आदि पर होने वाला अतिरिक्त व्यय एनआरएए वहन करेगा। संशोधित प्लान के अनुसार ईमारत के 8 तलों के निर्माण की कुल लागत 115.79 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है जो पीपीवी और एफआरए, एनआरएए तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के बीच क्रमशः 77.69 करोड़, 26.42 करोड़ और 11.68 करोड़ के रूप में विभाजित की गई है। प्रोटोटो आधार पर वांछित धनराशि एनआरएए और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पीपीपी और एफआर प्राधिकरण को दी जाएगी तथा अदायगियां करने के लिए एकल खिड़की पीपीवी और एफआर प्राधिकरण होगा। निर्णय के अनुसार एनआरएए को आरंभिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपयों की तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग को 2.5 करोड़ रुपये की अग्रिम अदायगी करनी होगी। यूपीआरएनएनएल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निगम ने संशोधित ले आउट प्लान तैयार किया तथा 187.40 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया। कुछ प्रशासनिक कारणों से एनआरएए और कृषि एवं सहकारिता विभाग क्रमशः 5 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपयों की अदायगी नहीं कर सके। इस धनराशि के प्राप्त न होने के कारण यूपीआरएनएनएल को 31.3.2013 तक 187.40 लाख की राशि अदा नहीं की जा सकी जिसके लिए प्रावधान किया गया है। जैसे ही यह राशि एनआरएए तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त होती है, यूपीआरएनएनएल के दावे का निपटारा कर दिया जाएगा।

5. चल सम्पत्तियां

सत्यापन के दौरान एक बार कोड प्रिंटर, एक बार कोड स्कैनर, एक विश्लेषणात्मक तुला और एक नमी विश्लेषक और एक लेपटॉप जिनकी कीमत 2,84,769 रुपये थी, कम पाए गए जबकि एक बीज शुष्कक अतिरिक्त पाया गया। मामले में जांच और निर्णय के लंबित होने के कारण कोई लेखाकरण नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई सम्पत्तियों, ऐसी सम्पत्तियों के बिक्री/निपटान पर लाभ/हानि तथा अन्य विवरणों का लेखों में उचित खुलासा किया गया है।

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं पेशगियां

- (क) प्राधिकरण ने डाक घर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और उसे एकमुश्त राशि की टिकटों से भर दिया है। इस राशि को मौजूदा टिकटों के रूप में दर्शाया गया है। टिकटों की दैनिक खपत के लिए एक रजिस्टर रखा गया है। टिकटों पर होने वाले कुल व्यय को सम्बद्ध व्यय शीर्ष के अंतर्गत नामे किया जाता है। 31 मार्च 2013 को मौजूद टिकटों की राशि 1,10,595 रु. थी।
- (ख) 45,000रु. की राशि कृषि एवं सहकारिता विभाग से पूर्व अध्यक्ष के अंशदायी भविष्य निधि के योगदान के रूप में पेशगी प्राप्त के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया था लेकिन इस राशि को प्राधिकरण द्वारा पहले ही जमा करा दिया गया था और इसे वापिस लिया जाना है।
- (ग) प्राधिकरण की लेखाकरण नीति 13(ख) के अनुसार, 31.3.2013 तक प्राधिकरण को कुल 3,17,67,500 /-रु. डीयूस परीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं और प्रातिधिकरण ने 77,00,500 /-रु. डीयूस परीक्षण केन्द्रों को पेशगी के रूप में दिये हैं अग्रिम अदा की गई डीयूएस परीक्षण शुल्क के प्राप्त होने के अलग—अलग मामलों को जोड़कर दायिता के साथ पेशगियों का आक्रिमिक समायोजन डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के विरुद्ध दर्शाया जाएगा और ऐसा उनसे डीयूएस परीक्षण रिपोर्टों के प्राप्त होने की तिथि के बाद होगा जो अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने पेशगी देने की नीति को 70 प्रतिशत के 50 प्रतिशत और बकाया 50 प्रतिशत समायोजित लेखा प्राप्त होने के बाद, की जगह पूरे 70 प्रतिशत पेशगी में देने में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप डीयूस विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को पेशगी राशि बढ़कर 25,89,625 रुपये हो गई है।
- (घ) पिछले वर्ष तक डीयूएस परीक्षण केन्द्रों तथा परियोजनाओं के शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को दी गई पेशगी राशियों का लेखाकरण किया गया था, लेकिन 11वें ईएफसी ज्ञापन में किए गए आबंटनों के साथ उपयोग विद्यमान डीयूएस केन्द्रों, नए डीयूएस केन्द्रों, संदर्भ प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान करने और फील्ड जीन बैंकों की स्थापना/उन्हें सबल बनाने के अंतर्गत शीर्षों के

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४७
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अंतर्गत राशि का उपयोग किया जाना है। दी गई पेशगियों के प्रभावी नियन्त्रण और उनके समायोजन के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत पुराने शीर्षों से लेखां को नए शीर्षों में आवश्यक हस्तांतरण की प्रविष्टियां की गई हैं। परियोजना लेखा के बंद होने के परिणामस्वरूप 01.04.2012 को परियोजनाओं से प्राप्त राशि 1,46,12,161 आदिशेष के रूप में दिखाई दे रही है तथा परियोजनाओं को देय राशि 13,71,148 को संबंधित नए शीर्षों में हस्तांतरित किया गया, जैसा कि अनुबंध खं में दर्शाया गया है।

- (ङ.) पेशगियों के रूप में 01.04.2012 को आदिशेष 2,63,58,630/- रु. था और वर्ष 2012–13 में विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 3,24,08,334 लाख रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2012–13 के लिए 3,15,48,859 रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र तथा वर्ष 2011–12 के लिए 18,87,845 रुपये की राशि वर्ष 2012–13 के लेखों में अंतशेष रहने तक प्राप्त की गई तथा 1,39,68,452 रुपये की शेष राशि अनुबंध ग और घ के अनुसार संबंधित डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण 31.03.2013 को बकाया रही।
- (च.) चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं और डीयूएस केन्द्रों का अंतशेष 31.3.2012 को नए डीयूएस केन्द्रों को हस्तांतरित किया गया। यह राशि 1,62,55,439 रुपये थी तथा विभिन्न नए डीयूएस केन्द्रों को 2012–13 के दौरान 2,96,31,098 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2012–13 के लिए 2,10,88,524 रुपये और वर्ष 2011–12 के लिए 12,21,016 रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र 2012–13 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए तथा 2,53,07,094 रुपये की शेष राशि नए डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण–पत्र के प्राप्त न होने के कारण 31.03.2012 को बकाया रही (अनुबंध ड. और च)।
- (छ.) वर्ष के दौरान परियोजनाओं तथा डीयूएस केन्द्रों का आदिशेष संदर्भ प्रयोगशालाओं को 31.3.2012 को हस्तांतरित किया गया जो 22,10,500 रु. था जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न संदर्भ प्रयोगशालाओं को 63,70,000 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2011–12 के लिए 15,13,905 रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र तथा वर्ष 2011–12 के लिए 1,75,000 रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र 2012–13 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त हुए। शेष 68,91,595 रुपये संबंधित संदर्भ प्रयोगशालाओं से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण 31.03.2013 तक बकाया रहे, अनुबंध छ।
- (ज.) वर्ष के दौरान परियोजनाओं तथा डीयूएस केन्द्रों का अंतशेष फील्ड जीन बैंकों को हस्तांतरित किया गया जिसकी राशि 62,34,857 थी और वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न फील्ड जीन बैंकों को 53,42,243 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2012–13 के लिए 62,29,251 रुपये के तथा वर्ष 2011–12 के लिए 11,32,167 रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र 2012–13 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त हुए। शेष 42,15,682 रुपये की राशि संबंधित फील्ड जीन बैंकों से उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त न होने के कारण 31.3.2013 तक बकाया रहे, अनुबंध ज।
- (झ.) 1.4.2012 को प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध आदिशेष 51,62,565 रुपये था और वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को 81,03,165 रुपये जारी किए गए। 2012–13 के लिए 42,56,699 रुपये के और वर्ष 2011–12 के लिए 20,16,362 रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र 2012–13 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए। शेष 65,80,043 रुपये की राशि संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण 31.03.2013 को बकाया रही, अनुबंध झ।
- (ट.) प्राप्त उपयोग प्रमाण–पत्रों के अनुसार कुछ डीयूएस परीक्षण/परियोजना केन्द्रों द्वारा वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय जारी की गई राशि 19,23,922 से अधिक था और चूंकि किया गया अतिरिक्त व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, वांछित देयता सृजित की गई जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा और यदि किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया है तो सृजित की गई देयता को वापस ले लिया जाएगा।
- (ठ.) वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र के अनुसार 45,368 रुपये की राशि डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं द्वारा 2011–12 के दौरान अतिरिक्त उपयोग की गई दर्शाई गई है, अतः पिछले वर्ष के दौरान प्रयुक्त अतिरिक्त राशि के रूप में दर्शायी गई राशि को 1.4.2012 को पेशगी के रूप में आदिशेष में जोड़ दिया गया है।
- (ड.) कुछ मामलों में पेशगियों को अनन्तिम उपयोग प्रमाण–पत्रों के आधार पर समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त बकाया पेशगियों को डीयूएस केन्द्रों आदि परियोजना प्राधिकारियों के सामंजस्य तथा पुष्टि के बाद सही माना जाएगा।

जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

(द) वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के बाद बकाया माना गया है। तदनुसार प्राप्य वार्षिक शुल्क के लिए लेखाकरण किया गया है जो 31.03.2013 को पेशगी में प्राप्त और वापस देने योग्य है। किसी भी वार्षिक शुल्क को उस स्थिति में प्राप्य नहीं माना गया है यदि पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि वार्षिक शुल्क अदा किए जाने की तिथि के पूर्व समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 अगस्त 2009 की राजपत्र सूचना के अनुसार प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य और रॉयलटी का कुछ प्रतिशत अदा करने की आवश्यकता होती है। बिक्री मूल्य तथा रॉयलटी के हिस्से की आवश्यकता के अनुसार 31.03.2013 तक 22 ऐसे मामलों में बकाया थी, लेकिन प्राधिकरण ने 1,75,983 प्राप्त किए। बकाया राशि के लिए किसी आय का लेखा प्रजनक या एजेंट से प्राप्त बिक्री मूल्य का विवरण न होने के कारण नहीं किया जा सका, जबकि शेष मामलों के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

7. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआरए 2001 की धारा 91 के अनुसार 'प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है' अतः वर्तमान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. आकस्मिक व्यय

मुख्यालय में 31.3.2013 को 10,000/-रु. की उच्चतं राशि बकाया थी लेकिन गुवाहाटी तथा रांची के मामले में कोई भी उच्चतं राशि बकाया नहीं थी।

9. जीन निधि

वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने प्राधिकरण निधि से प्राप्त 50,00,000 रु. के योगदान में से 46,04,021 रुपये की राशि व्यय की है तथा जमा पर व्याज और वार्षिक शुल्क को खाते में लेने के पश्चात् जीन निधि खाते में 23,09,072 रुपये की शेष राशि हस्तांतरित की गई।

10. चालू देयताएं

- (क) दिनांक 31.03.2012 को देय 1,32,817 रु. की राशि में से वर्ष के दौरान 99,703 रु. की राशि अदा की गई और 33,114 रु. की राशि शेष रही, जो समायोजन की प्रक्रिया में है। वर्ष 2012–13 के दौरान एनपीएस के रूप में 1,01,494 रु. की राशि देय है।
- (ख) पूर्व अध्यक्ष के सीपीएफ खाते में दायिता को पूरा करने के लिए एक आवर्ती जमा खाता खोला गया था। वर्ष के दौरान अध्यक्ष के दिसम्बर 2012 में सेवानिवृत्त होने पर सीपीएफ आवर्ती जमा खाते का नगदीकरण किया गया तथा सीपीएफ के कारण दायिता को अदा करके समायोजित किया गया।
- (ग) विवाद के निपटारे के लम्बित रहने के कारण वर्ष 2012–13 के दौरान ठेके पर लगाए गए स्टाफ या नियमित वेतनमान के स्टाफ को पिछली दो तिमाहियों के दौरान किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एस-12) के अनुसार छासमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुमानों को इतर आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूंजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 69,62,137 रुपये है और वर्ष के दौरान वसूला गया मूल्यद्वारा 35,83,531 रुपये है जो संबंधित आय और व्यय लेखे के नामे में से कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है और इसे इतर आय माना गया है।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

- (क) ग्रेच्युटी : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

अध्यक्ष प्रकाश सिंह
जय प्रकाश सिंह
वित्तीय सलाहकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४९
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

- (क) 31.03.2013 को देनदारी का वर्तमान मूल्य
 (ख) प्रावधान के अनुसार तुलन पत्र में दशाई गई दायिता
 वास्तविक अवधारणाएं

राशि (रुपयों में)
 8,94,587.00
 8,94,587.00

वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :
 प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि
 छूट की दर 8.00 प्रतिशत
 वेतन में भावी बढ़ोतरी 5.50 प्रतिशत

- (ख) छुट्टी नकदीकरण : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण में एस-15(आ) के अनुसार निर्धारित होता है।

31.03.2013 को प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

- | | राशि (रुपयों में) |
|---|-------------------|
| (क) 31.3.2013 को देनदारी का वर्तमान मूल्य | 11,79,989.00 |
| (ख) प्रावधान के अनुसार तुलन पत्र में दशाई गई दायिता
वास्तविक अवधारणाएं | 11,79,989.00 |

प्रधान मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :
 प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि
 छूट की दर 8.00 प्रतिशत
 वेतन में भावी बढ़ोतरी 5.50 प्रतिशत

13. विदेशी मुद्रा लेन-देन

प्राधिकरण ने वर्ष 2012 और 2013 के लिए आईटीपीजीआरईए को द्विवार्षिक अंशदान के रूप में 46576.69 अमेरिकी डालर दिए जो 26,24,015 रुपये के बराबर हैं।

14. पूर्वावधि समायोजन लेखा

वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगियों का समायोजन वर्ष 2011–12 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया था। अतः वर्ष 2012–13 के दौरान वर्ष 2011–12 की अवधि से संबंधित प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को, पूर्वावधि व्यय शीर्षों के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, उस पूर्वावधि से संबंधित आय/व्ययों को, जिनके लिए संबंधित वर्ष में दायिता सृजित नहीं की जा सकी थी, पूर्वावधि समायोजन लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े पुनर–समूहित/पुनर–वर्गीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हैं।

जय प्रकाश सिंह
 वित्तीय सलाहकार
 पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
 भारत सरकार
 एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
 नई दिल्ली–110012

आर.सी. अग्रवाल
 महापंजीकार
 पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
 एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
 नई दिल्ली–110012

आर.आर. हंगिनाल
 अध्यक्ष
 पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण
 कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
 एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
 नई दिल्ली–110012



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए एम जी IV/एस ए आर/पी.पी.वी.एवं एफ.आर.ए./9-16/2013-14/1012 दिनांक ३०/०७/२०१३

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
कृषि मन्त्रालय,
कृषि एव को-ऑपरेशन विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2012-13 के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
महोदय/महोदय

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के
प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के
पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को
प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी
जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों संटनों के
समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित
अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं
लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी झार्जों को
आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी
करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद
है। यदि इसमें कोई विसंगति परिवर्तित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भजदीन

संलग्नक: यथोपरी

हस्ताक्षर/-

उप निदेशक (ए एम जी -IV)

ए एम जी JV/एस ए आर/पी.पी.वी.एवं एफ.आर.ए./9-16/2013-14/१०१३ दिनांक: ३०/०७/२०१३

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित उल्लंघन, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स, (टोडा पुर के सामने) डी.पी.एस मार्ग, नई दिल्ली 110012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की। प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नकःयथोपरी




उप निदेशक (ए एम जी -IV)

ए एम जी JV/एस ए आर/पी.पी.वी.एवं एफ.आर.ए./9-16/2013-14/

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित श्री मुखबैन सिंह, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट ए बी), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



संलग्नकःयथोपरी

उप निदेशक (ए एम जी -IV)

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62 (2) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में उपरोक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों व अदायगियों के लेखे के साथ संलग्न पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआरए की दो इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआरए के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं, लेखाकरण मानकों व मानदंडों के अनुपालन के अनुसार वर्गीकरण के संबंध में लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां भी हैं। विधानों, नियमों, विनियमों (स्वामित्व एवं विनियमनकारिता) के अनुपालन के संदर्भ में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण व कुशलता तथा निष्पादन संबंधी पहलुओं आदि पर, यदि कोई है तो उसे अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया गया है।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम यह जानने के लिए कि वित्तीय विवरण प्रत्येक प्रकार की भौतिक विसंगतियों से मुक्त हैं, तर्कसंगत सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा को नियोजित व निष्पादित करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाणों की परीक्षण आधार पर जांच भी शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किए गए लेखा संबंधी सिद्धांत व उल्लेखनीय विवरणों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध होता है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखे और प्राप्तियों व अदायगियों के लेखे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के प्रारूप या फार्मट में तैयार किए गए हैं।
 - iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा उचित लेखा बहियां तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं। जैसा कि हमारे द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62 के अंतर्गत की गई जांच से प्रतीत होता है।
- क) अनुदान सहायता

प्राधिकरण ने वर्ष 2012-13 के दौरान 16.02 करोड़ रुपये (2.55 करोड़ रुपये मार्च 2013 में प्राप्त हुए थे) की योजनागत अनुदान सहायता प्राप्त की। प्राधिकरण ने 15.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया (इसमें पिछले वर्ष 1.61 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय का समायोजन भी शामिल है) और 0.13 करोड़ रुपये बिना खर्च हुए बचे रहे।
- ख) प्रबंधन का पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन के पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए को उनकी जानकारी के लिए भेजा गया है।

- v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षणों के संदर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन–पत्र व आय और व्यय के विवरण तथा प्राप्ति व अदायगियों के लेखे लेखा–बहियों के अनुसार हैं।
- (vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखों पर की गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है तथा उपरोक्त बताए गए उल्लेखनीय मामले और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित मामलों के अनुसार सच्चा और ईमानदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- क. जहां तक इसका तुलन–पत्र से संबंध है, यह पीपीवी और एफआरए के मामलों की 31 मार्च 2013 की स्थिति से संबंधित है; तथा
- ख. जहां तक इसका संबंध आय और व्यय के लेखे से है, वहां इसमें उल्लिखित अतिरिक्त या सरप्लस के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

लेखापरीक्षक महानिदेशक
केन्द्रीय व्यय

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.09.2013

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। तथापि वर्ष 2012–13 की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) के द्वारा की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की कमी है जो निम्न पर्यवेक्षणों से स्पष्ट होती है :

प्राधिकरण विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, संदर्भ प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान देता है और इसे इन केन्द्रों को दी गई पेशगी राशि के रूप में लेखाकृत करता है। संबंधित डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य से लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वास्तविक व्यय को संबंधित लेखों में नामे किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि लेखों के अनुबंध ग, ड., छ और झ के अनुसार 65 लाख रुपये से 2.53 करोड़ तक की पेशगी राशियां निम्न कमियों के कारण इन केन्द्रों पर बकाया थीं :

1. अनेक मामलों में इन केन्द्रों को पेशगी राशि बिना उपयोग प्रमाण-पत्रों के उचित सत्यापन के और बिना आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के दी गई।
2. प्रशिक्षण केन्द्रों के पास पर्याप्त मात्रा में तुलन राशि के व्यय हुए बिना इन्हें और पेशगी राशियां दी गई जो बिना खर्च हुए बची रहीं जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अनावश्यक रूप से फंसी रही।

प्राधिकरण को इन पेशगी राशियों के लेखाकरण तथा उपयोग के लिए एक प्रभावी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। धनराशि के कम से कम फंसे रहने के लिए यह जरूरी है कि उचित निगरानी/समीक्षा की जाए।

3. अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2012–13 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. सामग्री सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

लेखन सामग्री तथा अन्य खपतशील सामग्रियों आदि का भौतिक सत्यापन मार्च 2013 तक किया गया।

5. वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

31.3.2013 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसी कोई भी देयता 6 मास से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी।

प्रबंधन के उत्तर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर बिंदुवार उत्तर

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां		उत्तर
4.	(i) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।	तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
	(ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं अदायगी लेखे का उल्लेख किया गया है वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।	तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
	(iii) हमारे विचार से जैसी कि पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 की धारा 62(1) के अंतर्गत अपेक्षा की गई है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने उचित लेखा बहियां तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे हैं, जैसा कि हमारी इस प्रकार की बहियों की जांच से दिखाई देता है।	तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
	(iv)	
	क. अनुदान सहायता	
	प्राधिकरण ने वर्ष 2012–13 के दौरान योजनागत अनुदान सहायता के रूप में 16.02 करोड़ रुपये प्राप्त किए (2.55 करोड़ रुपये मार्च 2013 में प्राप्त किए गए)। प्राधिकरण ने 15.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया (इसमें पिछले वर्ष अतिरिक्त व्यय हुई 1.16 लाख रुपये की राशि का समायोजन भी शामिल है) और 0.13 करोड़ रुपये गैर व्यय की गई शेष राशि के रूप में बचे रहे।	तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
	ख. प्रबंधन पत्र	
	जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया है।	लेखापरीक्षा का यह सुझाव अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
	(v) पूर्व पैराग्राफों में किए गए हमारे पर्यवेक्षणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं अदायगी लेखा का उल्लेख किया गया है वे लेखा बहियों के अनुसार हैं।	तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंडिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

(vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार कथित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखों पर की गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है तथा उपरोक्त बताए गए उल्लेखनीय मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अनुसार सच्चा और ईमानदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

क. जहां तक इसका तुलन पत्र से संबंध है, यह पीपीवी और एफआरए के मामलों की 31 मार्च 2013 की स्थिति से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक इसका संबंध आय और व्यय के लेखे से है, वहां इसमें उल्लिखित अतिरिक्त या सरप्लस का संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष से है।

तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली—110012

आर.आर. हाँचनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली—110012

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

<p>1. आंतरिक लेखाप्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2012–13 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की गई है।</p>	<p>लेखा तथा वित्त अनुभाग में नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई अलग से आंतरिक लेखाविभाग नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखाकरण तथा वित्तीय मामलों के सभी कार्यों की देखभाल के लिए एक परामर्शक को रखा गया है।</p> <p>वर्ष 2012–13 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की एक फर्म के माध्यम से कराई गई है।</p>
<p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की कमी है जो निम्न पर्यवेक्षणों से स्पष्ट होती है :</p> <p>प्राधिकरण विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, संदर्भ प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान देता है और इसे इन केन्द्रों को दी गई पेशगी राशि के रूप में लेखाकृत करता है। संबंधित डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य से लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर वास्तविक व्यय को संबंधित लेखों में नामे किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि लेखों के अनुबंध ग, ड., छ और झ के अनुसार 65 लाख रुपये से 2.53 करोड़ तक की पेशगी राशियां निम्न कमियों के कारण इन केन्द्रों पर बकाया थीं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनेक मामलों में इन केन्द्रों को पेशगी राशि बिना उपयोग प्रमाण—पत्रों के उचित सत्यापन के और बिना आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के दी गई। 2. प्रशिक्षण केन्द्रों के पास पर्याप्त मात्रा में तुलन राशि के व्यय हुए बिना इन्हें और पेशगी राशियां दी गई जो बिना खर्च हुए बची रहीं जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अनावश्यक रूप से फंसी रही। <p>प्राधिकरण को इन पेशगी राशियों के लेखाकरण तथा उपयोग के लिए एक प्रभावी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। धनराशि के कम से कम फंसे रहने के लिए यह जरुरी है कि उचित निगरानी/समीक्षा की जाए।</p>	<p>प्राधिकरण डीयूएस केन्द्रों, संदर्भ प्रयोगशालाओं, फील्ड जीन बैंकों और प्रशिक्षण केन्द्रों को अदायगी के लिए आंतरिक जांच एवं नियंत्रण प्रणाली को अपना रहा है। रिपोर्ट में बताई गई बिंदुवार कमियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) केन्द्रवार वार्षिक बजट तैयार किया जाता है और राशि, निधियों के उपलब्ध होने पर, दो किस्तों में जारी की जाती है। ii) 50 प्रतिशत राशि की पहली किस्त जारी करते समय पिछले वर्ष के दौरान जारी की गई पेशगी राशि के उपयोग का प्रमाण—पत्र व भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को सुनिश्चित किया जाता है। iii) वर्ष के अंत में यदि कोई नामे शेष राशि बकाया होती है, तो उसे देय पहली किस्त के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। iv) संबंधित केन्द्रों को समय—समय पर उपयोग प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने और व्यय न हुई शेष राशि को वापस करने का स्मरण कराया जाता है। <p>सामान्यतः प्रशिक्षण के लिए नई पेशगी राशि तब तक नहीं दी जाती है, जब तक पहली दी गई पेशगी राशि के उपयोग का प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है। यदि पहले दी गई पेशगी राशि में से राशि का कुछ भाग बकाया रह जाता है तो उसे दिए जाने वाली नई पेशगी राशि से समायोजित कर लिया जाता है।</p> <p>जैसा कि लेखापरीक्षा के द्वारा सुझाव दिया गया है, प्राधिकरण विद्यमान प्रणाली की पुनः समीक्षा करेगा और इन पेशगी राशियों के लेखाकरण व उपयोग के लिए एक प्रभावी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विकसित करेगा। विद्यमान निगरानी/समीक्षा प्रणाली की जांच की जाएगी और इसे अधिक सबल बनाया जाएगा।</p>

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हिंचिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

3. सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2012–13 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
4. विषय सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	लेखन सामग्री और खपतशील सामग्री आदि का भौतिक सत्यापन मार्च 2013 तक किया गया है। तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
5. वैधानिक बकायों के भुगतान में नियमितता	दिनांक 31.03.2013 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आदि जैसे कोई भी वैधानिक भुगतान 6 माह से अधिक तक बकाया नहीं थे। तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

2/४२

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.फि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हाँचनाल

अध्यक्ष

पौ.फि.कु.अ.सं, प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स

नई दिल्ली-110012

i k8kk fdLe vkg —"kd vfekekj | j{k.k i kf/kdj .k
dh ubZ fnYyh ea 18-10-2013 dks vk; kftr
mjuhl ohacBd ea bl sLoh—r fd; k x; k
1/ak; 1 ph en | a; k 13½

